

शाखा _____

सोल आई डी _____

तिथि _____

सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के लिए सामान्य सीआईएफ सह खाता खोलने का फॉर्म (गैर-वैयक्तिक)

आवेदन का प्रकार* नया अद्यतन कार्यालयीन उपयोग हेतु

सीआईएफ संख्या शाखा कोड

खाता संख्या योजना का प्रकार

सीकेवाईसी नंबर (सीकेवाईसी अद्यतन अनुरोध हेतु अनिवार्य)

खाताधारक का प्रकार* यूएस रिपोर्टेबल अन्य रिपोर्टेबल (कृपया सामान्य अनुदेशों की मद सं. 'क' देखें)

क) तारंकित (*) को भरना अनिवार्य है
ख) जहां लागू हो टिक करें
ग) तिथि को डीडी-एमएम-वाईवाईवाई फॉर्मेट में भरें।
घ) कृपया फॉर्म पठनीय स्पष्ट अक्षरों में भरें
ङ) कृपया खंडवार विस्तृत दिशानिर्देश/अनुदेश पढ़ें।
च) भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार दो अक्षरों वाले आईएसओ 3166 देश कोड और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कोड की सूची सामान्य निर्देशों में उपलब्ध है।
छ) किसी विशेष खंड को अद्यतन करने के लिए खंड संख्या से पहले उपलब्ध बॉक्स में (✓) टिक करें और जो लागू न हों उन्हें काट दें।
ज) अद्यतन आवेदन के लिए केवाईसी नंबर अनिवार्य है
झ) महत्वपूर्ण शर्तों की परिभाषा इस फॉर्म के अंत में दी गई है
भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार चालू खाता खोलने हेतु अपनी पात्रता की जांच करने के लिए कृपया अनुबंध V पहले भरें

मेरा/हमारा पीएनबी में खाता नहीं है या
 मेरा पीएनबी में खाता है जिसकी खाता संख्या है।

1. संस्था का विवरण (कृपया सामान्य निर्देश की मद सं. 'ग' देखें)

1. संस्था का नाम* (स्पष्ट अक्षरों में)

पहचान का प्रकार* (कृपया सामान्य अनुदेशों की मद सं. 'ग2' देखें) यदि 0- अन्य (उल्लेख करें) _____

पैन * (केवल भारत में कर निवास इकाइयों के लिए पैन टीआईएन के समतुल्य है) (सामान्य अनुदेश देखें)

या फॉर्म 60 (कंपनियों तथा भागीदारों के अलावा अन्य इकाइयों हेतु) एनपीओ (गैर लाभकारी संगठन) हों नहीं यदि हैं तो पंजीकरण सं. बताएं

2. पहचान का प्रमाण (पीओआई)* (कृपया सामान्य अनुदेशों की मद सं. 'घ' देखें)

निगमन/गठन का स्थान* _____ निगमन/गठन की तिथि *

निगमन/गठन का देश*(कोड-आईएसओ 3166): (सामान्य अनुदेश देखें) कारोबार शुरू करने की तिथि*

जीएसटीएन (पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में लागू) इकाई के गठन का प्रकार* (कृपया सामान्य अनुदेशों में अनुदेश ख देखें)

सीआईएन (केवल कम्पनी के मामले में लागू)

निगमन/गठन का प्रमाणपत्र इसकी ओर से लेनदेन करने हेतु इसके प्रबंधक, अधिकारियों या कर्मचारियों को दिया गया मुख्तारनामा पंजीकरण प्रमाण पत्र

लेनदेन करने हेतु अधिकृत व्यक्ति के अधिकारिक वैध दस्तावेज (ओं) बोर्ड/प्रबंध समिति का संकल्प अन्य _____

संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम/भागीदारी विलेख/न्यास दस्तावेज गतिविधि का प्रमाण (केवल एकल स्वामित्व इकाई के लिए) यूआरसी (उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र)

3. संबंधित व्यक्ति/लाभार्थी स्वामी का विवरण* (प्रत्येक संबंधित व्यक्ति के लिए अलग-अलग 'अनुलग्नक II' भरना है, कृपया सामान्य अनुदेशों की मद सं. 'छ' देखें)

संबंधित व्यक्तियों की संख्या* (संबंधित व्यक्ति निदेशक, प्रमोटर, कर्ता, ट्रस्टी, भागीदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, लाभार्थी, लाभार्थी स्वामी, न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी हो सकता है)

लाभार्थी स्वामियों की संख्या* (यद्यपि लाभार्थी स्वामी, संबंधित व्यक्ति है, लाभार्थी स्वामी की संख्या संबंधित व्यक्तियों में से अलग रूप से तय की जाएगी, लाभार्थी स्वामी संबंधित व्यक्ति का अंश/उपअंश है।) (परिभाषा के लिए पृष्ठ 18 देखें)

4. पते का प्रमाण (पीओए)* (यथा लागू दस्तावेजों की सत्यापित प्रति, प्रस्तुत करें) (कृपया अंत में दी गई अनुदेश सं. 'ड' देखें)

4.1 वर्तमान/स्थायी/विदेश पता विवरण*

भारत में पंजीकृत कार्यालय (यदि लागू है)/कारोबार स्थान का पता*

पते का प्रकार* आवासीय/कारोबार आवासीय कारोबार पंजीकृत कार्यालय अनिर्दिष्ट

पते का प्रमाण* निगमन/गठन का प्रमाणपत्र पंजीकरण प्रमाणपत्र

पंक्ति*1 :

पंक्ति*2 :

पंक्ति*3 :

जिला* :

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम*

शहर/नगर/गांव* :

पिन/पोस्ट कोड* :

देश कोड*(आईएसओ 3166)

4.2 पत्राचार/स्थानीय पते का विवरण*

वर्तमान/स्थायी पते के अनुसार (एक से अधिक पत्राचार/स्थानीय पते होने के मामले में, कृपया 'अनुबंध III' भरें)

पते का प्रकार* आवासीय/कारोबार आवासीय कारोबार पंजीकृत कार्यालय अनिर्दिष्ट

पते का प्रमाण* निगमन/गठन का प्रमाणपत्र पंजीकरण प्रमाणपत्र

पंक्ति*1 :

पंक्ति*2 :

पंक्ति*3 :

जिला* :

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम*

शहर/नगर/गांव* :

पिन/पोस्ट कोड* :

देश कोड*(आईएसओ 3166)

4.3 कारोबार का मूल स्थान (पंजीकृत पते के समान) हैं नहीं (यदि नहीं है, कृपया निम्न विवरण भरें)

पते का प्रकार* आवासीय/कारोबार आवासीय कारोबार पंजीकृत कार्यालय अनिर्दिष्ट

पते का प्रमाण* निगमन/गठन का प्रमाणपत्र पंजीकरण प्रमाणपत्र

पंक्ति* 1 :

पंक्ति* 2 :

पंक्ति* 3 :

जिला* :

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम*

शहर/नगर/गांव* :

पिन/पोस्ट कोड* :

देश कोड* (आईएसओ 3166)

4.4 जहां संस्था कर उद्देश्यों के लिए भारत से बाहर का निवासी है, तो उस अधिकार क्षेत्र में उसका पता

वर्तमान/स्थायी/विदेश के पते के विवरण के अनुसार पत्राचार/स्थानीय पते के विवरण के अनुसार

पते का प्रकार* आवासीय/कारोबार आवासीय कारोबार पंजीकृत कार्यालय अनिर्दिष्ट

पते का प्रमाण* (भारत के बाहर पंजीकृत इकाईयों के लिए)* निगमन/गठन का प्रमाणपत्र पंजीकरण प्रमाणपत्र या समतुल्य प्रमाणपत्र

पंक्ति* 1 :

पंक्ति* 2 :

पंक्ति* 3 :

राज्य* :

पिन/पोस्ट कोड* :

देश कोड* (आईएसओ 3166)

शहर/नगर/गांव* :

5. संपर्क विवरण (सभी पत्राचार दिए गए मोबाइल नं./ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे) (कृपया अंत में दी गई अनुदेश सं.'च' देखें)

टेलिफोन (कार्या.):

टेलिफोन (निवास) :

फैक्स :

मोबाइल 1 :

मोबाइल 2 :

ई-मेल आई डी 1 :

ई-मेल आई डी 2 :

यदि ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर एक से अधिक ग्राहक आईडी में पंजीकृत है, तो कृपया इसका कारण और उसी ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर वाले खाताधारक के साथ अपना संबंध अवश्य बताएं:
कारण खाताधारक के साथ संबंध

(एक ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर अधिकतम 5 व्यक्तिगत ग्राहक आईडी के साथ पंजीकृत किया जा सकता है।)

घोषणा सह वचन:

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई ईमेल आईडी क्षणिक या स्वतः समाप्त होने वाली नहीं है।

मैं एतद्वारा पीएनबी को बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के संबंध में प्रचार संबंधी एसएमएस भेजने या प्रचार संबंधी कॉल करने के लिए स्पष्ट सहमति देता/देती हूँ। बैंक से संपर्क करके या निर्दिष्ट ऑफ्ट-आउट तंत्र के माध्यम से यह सहमति किसी भी समय वापस ली जा सकती है। हाँ नहीं

6. कारोबार का प्रकार

निर्माता व्यापारी खुदरा विक्रेता सेवा प्रदाता निर्यात/आयात अन्य

उद्योग कोड* : (कृपया उद्योग कोड के लिए पृष्ठ 5 देखें) अन्य :

वार्षिक टर्नओवर रु. कृपया संबंधित दस्तावेज या स्व-घोषणाप्रदान करें (बैंक द्वारा यथा निर्धारित निश्चित सीमा तक लागू)

अनुमानित वार्षिक क्रेडिट रु.

एमएलएम वचनपत्र: "मैं/हम घोषणा करता/करती/करते हैं/हैं कि मेरी/हमारी कंपनी/फर्म एमएलएम (बहुस्तरीय मार्केटिंग) कंपनी/फर्म नहीं है या "मैं/हम घोषणा करता/करती/करते हैं/हैं कि मेरी/हमारी एमएलएम (बहुस्तरीय मार्केटिंग) कंपनी/फर्म है और कंपनी बहुस्तरीय मार्केटिंग का कारोबार करती है एवं उसने उपभोक्ता मामले के विभाग को एक वचन पत्र दिया है कि कंपनी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी प्रत्यक्ष बिक्री दिशानिर्देश, 2016 तथा जहाँ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, उस राज्य सरकार द्वारा जारी प्रत्यक्ष बिक्री दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है। इसके अलावा कंपनी ने इनामी चिट और धन परिचालन (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है और उल्लंघन न करने का वचन देती है।"

7. खाते का प्रकार

चालू खाता बचत खाता अन्य कृपया उल्लेख करें

आवर्ती जमा खाता स्वीप सुविधा

योजना का प्रकार राशि अवधि स्व नवीनीकरण हाँ नहीं

8. परिचालन का तरीका

एकल संयुक्त रूप से अलग-अलग बोर्ड के संकल्प के अनुसार अन्य (कृपया उल्लेख करें)

9. अपेक्षित सेवाएं (अपेक्षित सेवा पर टिक लगाएं (प्रभार लागू हो सकते हैं))

कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग : केवल देखने हेतु देखने एवं लेन-देन हेतु चेक बुक डेबिट कार्ड

पीओएस की सुविधा (कार्ड स्वाइप करने की मशीन) एसएमएस अलर्ट डोर स्टेप बैंकिंग फीस भुगतान सुविधा

प्लेटिनम डेबिट कार्ड अन्य

खाता विवरणी की अवधि : मासिक तिमाही छमाही दैनिक

ई-विवरण भेजने के लिए ई-मेल आईडी

मोबाइल जिस पर एसएमएस अलर्ट भेजा जाना है (कृपया एओएफ भाग1 में संपर्क विवरण में दिए गए मोबाइल नंबरों का संदर्भ लें)

10. खाते का प्रकार:

खाते के प्रकार का नाम :

(अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें या निकटतम शाखा में जाएं)

11. वचन पत्र: बैंकिंग प्रणाली से ऋण सुविधा

बैंकिंग प्रणाली से ऋण सुविधा का लाभ उठा रहे हैं नहीं हाँ

(यदि हाँ, तो कृपया अनुबंध V भरें)

मैं/हम आपको तत्काल यह सूचित करने का वचन देता/देती/देते हैं/हैं कि जब भी मेरे/हमारी ऋण सुविधाओं का लाभ रु० 5,00,000 करोड़ या उससे अधिक हो जाता है/जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो) तो मेरा/हमारा खाता आरबीआई दिशानिर्देशों द्वारा अभिशासित किया जाएगा

आवेदक/कों के हस्ताक्षर

4.3 Principal place of Business (as same registered address) Y N (if no please fill details as under)

ADDRESS TYPE*: RESIDENTIAL / BUSINESS RESIDENTIAL BUSINESS REGISTERED OFFICE UNSPECIFIED

PROOF OF ADDRESS*: CERTIFICATE OF INCORPORATION / FORMATION REGISTRATION CERTIFICATE

LINE 1*:

LINE 2*:

LINE 3*:

DISTRICT*:

STATE / UT NAME*:

CITY/ TOWN/VILLAGE*:

PIN/POST CODE*:

COUNTRY CODE*: (ISO3166)

4.4 ADDRESS IN THE JURISDICTION WHERE ENTITY IS RESIDENT OUTSIDE INDIA FOR TAX PURPOSES*

SAME AS CURRENT / PERMANENT / OVERSEAS ADDRESS DETAILS SAME AS CORRESPONDENCE / LOCAL ADDRESS DETAILS

ADDRESS TYPE*: RESIDENTIAL / BUSINESS RESIDENTIAL BUSINESS REGISTERED OFFICE UNSPECIFIED

PROOF OF ADDRESS (FOR ENTITIES REGISTERED OUTSIDE INDIA)*: REGISTRATION CERTIFICATE OR EQUIVALENT CERTIFICATE OF INCORPORATION/FORMATION

LINE 1*:

LINE 2*:

LINE 3*:

STATE*:

ZIP / POST CODE*:

CITY / TOWN / VILLAGE*:

COUNTRY CODE*: (ISO 3166)

5. CONTACT DETAILS (All communications will be sent on provided Mobile no./ Email- ID) (Please refer Instruction 'F' at the end)

TEL. (OFF): TEL. (RES):

FAX:

MOBILE 1: MOBILE 2:

EMAIL ID 1:

EMAIL ID 2:

In case Email ID/Mobile number is seeded in more than one customer id, please mandatorily provide the reason and your relationship with the account holder having same Email ID/Mobile number registered:

Reason _____ Relationship with account holder _____
(One E-mail ID/Mobile number can be registered with a maximum of 5 Individual Cust IDs.)

Declaration cum undertaking:

I declare that the email ID provided by me is not short lived self-disposable
I hereby provide explicit consent to PNB to send promotional SMS or make promotional calls regarding banking products and services. This consent may be withdrawn at any time by contacting the bank or via the designated opt-out mechanism. Yes No

6. NATURE OF BUSINESS

MANUFACTURER TRADER RETAILER SERVICE PROVIDER EXPORT / IMPORT OTHERS _____

INDUSTRY CODE*: (PLEASE REFER TO INDUSTRY CODES PAGE ON PAGE 5) OTHERS: _____

ANNUAL TURNOVER RS. _____ PLEASE PROVIDE SUPPORTING DOCUMENTS OR SELF DECLARATION (Applicable upto certain limit as decided by Bank)

EXPECTED ANNUAL CREDIT RS. _____

MLM UNDERTAKING: "I/We Declare that my/our Company/Firm is not MLM (Multi Level Marketing) Company/Firm OR "I/We declare that my/our Company/Firm is an MLM (Multi Level Marketing) Company/Firm and the Company is doing business of Multi-Level Marketing and has given an undertaking to the Department of Consumer Affairs that the Company is in compliance with Direct Selling Guidelines, 2016 issued by the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution as also any direct selling guidelines issued by the State Government, where the registered office of the Company is located Further, the Company is not in violation and undertake not to violate the provisions of Prize Chit and Money Circulation (Banning) Act, 1978."

7. TYPE OF ACCOUNT

CURRENT ACCOUNT SAVINGS BANK ACCOUNT OTHER PLEASE SPECIFY: _____

RECURRING DEPOSIT SWEEP FACILITY

SCHEME TYPE _____ AMOUNT _____ PERIOD _____ AUTO RENEWAL YES NO

8. MODE OF OPERATIONS

SINGLY JOINTLY SEVERALLY AS PER BOARD RESOLUTION OTHERS : (PLEASE SPECIFY) _____

9. SERVICES REQUIRED (Tick the required service (Charges may be applicable))

CORPORATE INTERNET BANKING : VIEWING ONLY VIEW & TRANSACTION CHEQUE BOOK DEBIT CARD

POS FACILITY (CARD SWIPING MACHINE) SMS ALERTS DOOR STEP BANKING PAY FEE FACILITY

PLATINUM DEBIT CARD OTHER _____

STATEMENT FREQUENCY: MONTHLY QUARTERLY HALF-YEARLY DAILY

E-STATEMENT TO BE SENT TO EMAIL ID:

SMS ALERTS TO BE SENT ON : MOBILE (PLEASE REFER TO THE MOBILE NUMBERS GIVEN IN CONTACT DETAILS IN AOF PART 1)

10. ACCOUNT VARIANT

ACCOUNT VARIANT NAME: _____
(FOR MORE DETAILS, PLEASE VISIT OUR WEBSITE OR VISIT NEAREST BRANCH)

11. UNDERTAKING : CREDIT FACILITY FROM BANKING SYSTEM

AVAILING CREDIT FACILITY FROM BANKING SYSTEM. NO YES
(IF YES, PLEASE FILL ANNEXURE V)

I/we undertake to inform you immediately if and when the sum of my/our availed credit facility(ies) becomes Rs. 5.00 crore or more (As amended from time to time)
I/We also understand that when the credit exposure is Rs. 5.00 crore or more(As amended from time to time), my/our account shall be governed by RBI Guidelines

Signature of Applicant/s

12. अन्य संस्था का विवरण:

सुनिश्चित करें कि वह संस्था 'वित्तीय संस्था' या 'गैर वित्तीय संस्था' है (कोई भी संस्था 'एफआई' या 'एनएफआई' हो सकती है, दोनों नहीं)

वित्तीय संस्थान (एफआई): (यदि वित्तीय संस्थान है तो कृपया सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए अनुबंध I और अनुबंध II भरें) (बैंक, बीमा एजेंसियां, एनबीएफसी आदि) या

गैर वित्तीय संस्थान (एनएफआई): यदि संस्थान एनएफआई है, तो क्या वह सक्रिय एनएफआई या निष्क्रिय एनएफआई है।

(एक संस्थान या तो सक्रिय एनएफआई या निष्क्रिय एनएफआई हो सकती है, दोनों नहीं, कृपया सक्रिय निष्क्रिय एनएफआई के संबंध में सामान्य दिशानिर्देश 'ज' देखें)

निर्धरित व्यक्तियों की संख्या (केवल निष्क्रिय एनएफआई के मामले में लागू, प्रत्येक संबंधित व्यक्ति के लिए अनुबंध II भरें)

प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग करने वाली गैर-वित्तीय विदेशी संस्था : हाँ नहीं

यदि हाँ तो कृपया प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग करने वाली एनएफआई का जीआईआईएन दर्शाएं :

विधिक इकाई पहचानकर्ता (एल.ई.आई कोड सं.) : (जहां कहीं लागू हो)

13. कर नियमों के अनुसार निवास का देश

केवल भारत के कर निवासी है भारत के बाहर किसी अन्य देश के नहीं हाँ नहीं (यदि नहीं है, तो कृपया अनुबंध -VI के विवरण भरें)

आयकर नियम, 1962
फॉर्म 60 [नियम 114बी का द्वितीय परंतुक देखें]
फॉर्म 60 कंपनियों और भागीदारों के अलावा अन्य इकाईयों के लिए लागू है (जिनके पास पैन उपलब्ध नहीं)

नाम :

(पहचान प्रमाण के अनुसार)

यदि पैन के लिए आवेदन किया हुआ है और जारी नहीं किया गया है, तो आवेदन की तिथि तथा पावती संख्या

यदि पैन के लिए आवेदन नहीं किया है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार उस वित्त वर्ष जिसमें उपर्युक्त लेन-देन किया गया है, की अनुमानित कुल आय भरें (पति,पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय सहित)

कृषि आय (₹. में) कृषि आय के अलावा अन्य आय

सत्यापन

मैं एतद्वारायह घोषणा करता हूँ/ती हूँ कि उपर्युक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं आगे यह घोषणा करता/ती हूँ कि मेरे पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और जिस वित्तीय वर्ष में उक्त लेनदेन किया गया है, उसमें मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय (पति,पत्नी, अवयस्क संतान आदि की आय सहित) आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप आयकर अधिनियम की धारा 64 के अनुसार गणना की गई है, जो कर योग्य अधिकतम राशि से कम ही होगी।

वर्ष के.....माह के.....दिन को सत्यापित

स्थान :

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

15. नामांकन : केवल एकल स्वामित्व के लिए लागू

मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन नहीं करना चाहता/चाहती हूँ (नामांकन सुविधा के लाभ मुझे/हमें बता दिए गए हैं। तथापि मैं/हम खाते में किसी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहता हूँ/चाहते हैं।)

नामांकन फॉर्म

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45-जेडए और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 2025 के नियम 2 से 4 के तहत बैंक जमा के संबंध में नामांकन। मैं/हम निम्नलिखित व्यक्ति को नामित करता/करते हूँ, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, जिन्हें मेरी/हमारी मृत्यु की स्थिति में इस एओएफ के साथ खोले गए खाते में जमा राशि बैंक द्वारा वापस की जाए।

जमाराशि का विवरण :

जमाराशि का प्रकार _____ खाता नंबर

*एकाधिक नामांकन सुविधा का लाभ उठाने के लिए कृपया पीएनबी 1386 नामांकन फॉर्म भरें।

*नामांकन की पावती रसीद ग्राहक को अनिवार्य रूप से जारी की जाएगी।

नामिती का विवरण

नाम :

जमाकर्ता के साथ सम्बन्ध : _____ आयु : नामिती की जन्मतिथि :

पता :

शहर : पिन राज्य :

नामांकित व्यक्ति का मोबाइल नंबर (वैकल्पिक) _____ नामिती का सीआईएफ नंबर :

चूंकि इस तिथि को नामिती अवयस्क, है इसलिए मैं/हम श्री/श्रीमती/सुश्री _____ आयु _____ वर्ष

पता _____

को नामिती की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने पर नामिती की ओर से जमा की राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

गवाह का निजी विवरण (यदि आवेदक निरक्षर है और अंगूठे का निशान लगा रहा है, तो गवाह की आवश्यकता है)

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

गवाह 1 नाम : _____

गवाह 2 नाम : _____

पता : _____

पता : _____

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान : _____ दिनांक _____

स्थान : _____ दिनांक _____

12. OTHER ENTITY DETAILS:

DETERMINE* WHETHER THE ENTITY IS 'FI' OR 'NFE' [AN ENTITY CAN BE EITHER AN 'FI' OR 'NFE', IT CAN NOT BE BOTH]

FINANCIAL INSTITUTION (FI) : (IF FINANCIAL INSTITUTION (FI) IS TICKED , PLEASE ALSO FILL **ANNEXURE I & ANNEXURE II** FOR ALL THE RELATED PERSON) (BANKS, INSURANCE AGENCIES, NBFCs ETC.) **OR**

NON FINANCIAL ENTITY (NFE) : IF ENTITY IS NFE, WHETHER IT IS*: **ACTIVE NFE** OR **PASSIVE NFE**

(AN ENTITY CAN BE EITHER AN 'ACTIVE NFE' OR A 'PASSIVE NFE', IT CAN NOT BE BOTH - SEE INSTRUCTIONS 'H' IN GENERAL GUIDELINES FOR ACTIVE & PASSIVE NFE)

NUMBER OF CONTROLLING PERSON(S): (APPLICABLE ONLY IN CASE OF PASSIVE NFE, FILL **ANNEXURE II** FOR EACH CONTROLLING PERSON)

DIRECT REPORTING NON FINANCIAL FOREIGN ENTITY (NFFE): YES NO

IF YES PLEASE PROVIDE GIIN OF DIRECT REPORTING NFFE:

LEGAL ENTITY IDENTIFIER (L.E.I CODE. NO.): (AS & WHEN APPLICABLE)

13. COUNTRY OF RESIDENCE AS PER TAX LAWS*

TAX RESIDENT OF INDIA ONLY AND NOT OF ANY OTHER COUNTRY OUTSIDE INDIA YES NO (IF NO, PLEASE FILL THE DETAILS ANNEXURE -VI)

14 **Income-tax Rules, 1962**
FORM 60 [see second proviso to rule 114B]
FORM 60 ONLY FOR ENTITIES OTHER THAN COMPANIES AND PARTNERSHIPS (In Case PAN is not Available)

NAME:

(SAME AS ID PROOF)

IF APPLIED FOR PAN AND IT IS NOT YET GENERATED, ENTER DATE OF APPLICATION & THE ACKNOWLEDGEMENT NUMBER

IF PAN IS NOT APPLIED , FILL ESTIMATED TOTAL INCOME (INCLUDING INCOME OF SPOUSE, MINOR CHILD, ETC) AS PER SECTION 64 OF INCOME TAX ACT 1961 FOR THE FINANCIAL YEAR IN WHICH THE ABOVE TRANSACTION IS HELD

AGRICULTURE INCOME (RS) OTHER THAN AGRICULTURAL INCOME

VERIFICATION

I..... do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief. I further declare I do not have a permanent account number and my/our estimated total income (including income of spouse, minor child, etc.) as per section 64 of Income Tax Act 1961 computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 for the financial year in which the above transaction is held will be less than maximum amount not chargeable to tax.

Verified today, the day of 20.....

Place:

Signature of the Declarant

15 NOMINATION : Applicable Only For Sole Proprietorship

I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT OR I/WE DO NOT WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT
(The benefit of nomination facility has been explained to me/us . However I/we don't want to nominate any person in the account)

NOMINATION FORM

Nomination under section 45-ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 to 4 of Banking Companies (Nomination) Rules, 2025 in respect of Bank Deposits.

I/we, nominate the following person particulars whereof are given below to whom in the event of my /our death the amount of the deposit in the account opened with this AOF may be returned by the bank.

DETAILS OF DEPOSIT :

Type of Deposit : _____ ACCOUNT NO:

***For availing multiple nomination facility please fill PNB 1386-Nomination form.**

***Nomination acknowledgement receipt to be invariably issued to customer**

DETAILS OF THE NOMINEE

NAME:

RELATIONSHIP WITH THE DEPOSITOR : _____ AGE: DATE OF BIRTH OF NOMINEE:

ADDRESS:

CITY: PIN: STATE:

MOBILE NUMBER OF NOMINEE (Optional) _____ CIF NO. OF NOMINEE :

As the nominee is a minor on this date, I/We appoint Shri/Smt./Others _____ age _____ years

Address _____

to receive the amount of the deposit on behalf of the nominee in the event of my / our / minor's death during the minority of the nominee.

Signature / Thumb impression of the Applicant(s)

Personal Details of Witnesses :(Witnesses are required only in case if applicant is illiterate and is affixing thumb impression)

Witness 1 Name : _____

Witness 2 Name : _____

Address : _____

Address : _____

Signature / Thumb Impression

Signature / Thumb Impression

Place : _____ Date : _____

Place : _____ Date : _____

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और इसमें परिवर्तन होने पर मैं आपको सूचित करने का वचन देता/देती हूँ। यदि कोई जानकारी गलत या झूठी या भ्रामक या मिथ्या प्रस्तुत की जाती है तो मैं/हम उसके लिए जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी/रहेंगे।
2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नियमों भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मैं/हम प्रमाणित करता/करती/करते हूँ/हैं कि मैं/हम इकाई की ओर से हस्ताक्षर करने की क्षमता रखता/रखती/रखते हूँ/हैं।
3. मैं/हम प्रमाणित तथा घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि यह कंपनी नियम 2017 (श्रेणियों की संख्या पर प्रतिबंध) के उक्त नियम दो में निर्दिष्ट कंपनियों की श्रेणियों से संबंधित नहीं है और इसकी (कंपनी) दो श्रेणियों से अधिक अनुश्रियाएँ नहीं है (कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 21 सितंबर 2017 के राजपत्र की अधिसूचना संख्या 793 में दिए गए विवरण के अनुसार)
4. मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने पंजाब नेशनल बैंक के तथा बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं जिसमें डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, वरचुअल बैंकिंग तथा अन्य सुविधाएं शामिल हैं से संबंधित नियमों एवं विनियमों को पढ़ लिया है। मैं/हम उनका अनुपालन करने के लिए सहमत होता/होती हूँ/हैं, जो बैंक विनियामक सरकार द्वारा परिपत्र, अधिसूचनाओं, सूचनापत्र, वेबसाइट/समाचार पत्र प्रकाशन के जरिए समय-समय पर संशोधित की जाएगी। ऐसे संशोधनों के संबंध में व्यक्तिगत सूचना लेने के अधिकार को मैं/हम परित्याग करता/करती/करते हूँ/हैं मेरे/हमारे खाते में मेरे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इंटरनेट, मोबाइल, टेली बैंकिंग या वरचुअल बैंकिंग के माध्यम से मेरे/हमारे यूजर आईडी तथा पासवर्ड/पिन/ओटीपी द्वारा किए गए लेन-देन या अनुरोध मुझे/हम पर विधिक रूप से बाध्य होंगे और ऐसे मामलों में प्राधिकृत करने के विवरण तथा किसी अन्य जानकारी/विवरण/ओटीपी/पिन आदि की गोपनीयता तथा विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मैं/हम जिम्मेदार हूँ/हैं। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि कोई सेवा शुल्क, व्यय या अन्य देय राशि जिस पर बैंक का हक है या जिसकी वसूली मुझसे की जानी है, के लिए मेरे/हमारे खाते को नामे करने का अधिकार बैंक को है। किसी नियम/विनियमन या खाते के परिचालन संबंधी शर्तों के विचलन/पालन न करने पर बिना सूचना के मेरे खाते को बंद करने/उसे जारी न रखने के लिए मैं/हम बैंक को प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं/हैं। मेरे पत्राचार के पते या संगठन में कोई परिवर्तन संशोधन होने पर मैं/हम बैंक को इसकी सूचना देने के लिए वचन देता हूँ/देते हैं और एक शाखा से दूसरी शाखा में खाते का अंतरण करने पर मैं/हम पते का प्रमाण देगा/देगी।
5. मैं/हम एतद्वारा केंद्रीय सीकेवाईसी रजिस्ट्री से अपने केवाईसी रिकॉर्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी सहमति केवल सीकेवाईसीआर रजिस्ट्री के डेटाबेस से मेरी पहचान और पते के सत्यापन के उद्देश्य के लिए देता/देती/देते हूँ/हैं। (मैं समझता/समझती हूँ कि मेरे केवाईसी रिकॉर्ड में मेरा केवाईसी रिकॉर्ड/व्यक्तिगत जानकारी जैसे मेरा नाम/पता, जन्मतिथि, पैन नंबर आदि शामिल है।)
6. आधार विवरण के आधार पर खोले गए खातों के संबंध में, मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/ती हूँ कि मैंने पीएमएएलए 2002 के तहत केवाईसी मानकों के अनुपालन में पहचान और/या पते के प्रमाण के लिए स्वीकृत रूप से यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड को जमा किया है तथा मैं एतद्वारा यह सहमत होता/ती हूँ कि बैंक यूआईडीएआई से इसका सत्यापन कर सकता है और यूआईडीएआई को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से बैंक को पहचान एवं पता जारी करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत करता/करती हूँ।
7. मैं पृष्ठ और घोषणा करता/ती हूँ कि मुझे किसी भी लागू कानून/विनियामक/संविदात्मक या अन्य प्रावधानों द्वारा खाता खोलने और/या खातों को बनाए रखने या किसी अन्य तरीके से बैंक के साथ लेनदेन करने हेतु प्रतिबंधित/निषिद्ध/रोका/नहीं गया है।
8. मैं मानता/ती हूँ कि मेरे व्यक्तिगत केवाईसी विवरणों को केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के साथ साझा किया जा सकता है। मैं बैंक/केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री/भारत सरकार/आरबीआई या अन्य किसी प्राधिकरण से मेरे पंजीकृत मोबाइल नंबर ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ। मैं यह भी मानता/ती हूँ कि ऐसे किसी भी एसएमएस/ई-मेल की गैर-प्राप्ति पर बैंक किसी भी तरह के नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
9. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/ती हूँ कि मैंने अपनी स्थिति, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ.2155(ई) दिनांक:7 अगस्त 2015 द्वारा अधिसूचित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 8 5 बौए के तहत लागू नियमों तथा इस विषय में आरबीआई परिपत्र सन्दर्भ सं.डीबीआर.एमएल.बीसी.सं.36/14.01.001/2015-16 दिनांक 28 अगस्त 2015 तथा इसके अनुवर्ती आशोधन/संशोधनों, के अनुसार घोषित की है।
10. मैं समझता, स्वीकार तथा अधिकृत करता/ती हूँ कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों, इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों तथा इस संबंध में सरकार/आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, आवासीय स्थिति और/या उसमें दिए गए अन्य मानदंडों के आधार पर, बैंक द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को (सीबीडीटी) या अन्य सरकारी

- एजेंसियों को विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के संबंध में अंतर-सरकारी समझौते (आईजीए) के अनुसार दायित्वों का पालन करने के लिए और सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) और/या अन्य समान व्यवस्थाओं के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार मेरे खाते (खातों) के संबंध में विवरण दिया जा सकता है।
11. मैं/हम यह प्रमाणित और घोषित करता/ती हूँ कि मेरे द्वारा खाता खोलने के लिए तथा इसके अंतर्गत या वेबसाइट/इलेक्ट्रॉनिक रूप से अन्य सेवा प्राप्त करने के लिए, जो मुझ पर लागू हो, का लाभ उठाने के लिए, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित/प्रमाणित रूप में उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी साक्ष्य, मेरी सवॉतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण है, मैंने/हमने ऐसी किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया नहीं है जो मेरे खाते के मूल्यांकन/वर्गीकरण को यू.एस. रिपोर्टिंग खाते या अन्य रिपोर्टिंग योग्य खाते के रूप में या अन्यथा प्रभावित कर सकती है। यदि किसी भी मामले में मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी या विवरण गलत या असत्य या भ्रामक या मिथ्या पाए जाते हैं, तो मुझे/हमें पता है कि मुझे/हमें इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
 12. यहां दी गई जानकारी मैं/या अन्यथा, कोई भी परिवर्तन होने पर, साथ ही मेरे द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य में हो सकता है या यदि कोई प्रमाणीकरण गलत हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है, तो मैं, तुरंत और किसी भी स्थिति में परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसे घोषित तथा प्रकट करने की जिम्मेदारी लेता/ती हूँ। इसके साथ ही, मैं आवश्यकता पड़ने पर, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ नवीनतम और वैध स्व-प्रमाणन प्रदान करने का वचन देता/ती हूँ, हालांकि, यहाँ की गई सभी घोषणाएँ और वचन मेरे द्वारा दिए गए ऐसे सभी आशोधित/संशोधित दस्तावेजों/सूचनाओं पर लागू होंगे जब तक उपरोक्तानुसार संशोधित स्व-प्रमाणन बैंक को प्रदान नहीं किए जाते।
 13. मैं/हम यह भी मानता/ती/मानते हूँ/हैं कि मेरी जानकारी में अभी या भविष्य में किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी का खुलासा करने में मेरी असफलता या दस्तावेजों/सूचना/अन्य विवरणों में किसी भी कमी को निर्धारित अवधि में दूर करने में मेरी असफलता, मुझे खाते में लेन-देन करने हेतु अमान्य घोषित कर सकती है और बैंक को मेरे खाते के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने या इसे बंद करने या किसी भी विनियामक और/या भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किसी भी प्राधिकरण को रिपोर्ट करने का अधिकार होगा, या बैंक सीबीडीटी/आरबीआई/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के तहत जैसा भी उचित होगा, कोई अन्य कार्यवाही कर सकता है।
 14. मैं/हम, भारत या विदेश में खाते के परिचालन या रखरखाव से संबंधित किसी भी कानून में किसी भी बदलाव के कारण मुझसे/हमसे मांगी जाने वाली किसी अन्य जानकारी बैंक को प्रस्तुत और सूचित करने के लिए भी सहमत हूँ/हैं।
 15. मैं बैंक को किसी भी प्रकार की हानि/क्षति की क्षतिपूर्ति करूँगा/गी, जो बैंक को मेरे द्वारा प्रदान किए गए विवरणों में -किसी भी त्रुटि/गलती के कारण या गलत या अपूर्ण सूचना प्रदान करने के कारण हो सकती है।
 16. मैं केवाईसी विवरणों के अपडेशन के लिए समय-समय पर बैंक द्वारा वांछित नए केवाईसी दस्तावेजों के साथ डेटा/सूचना प्रस्तुत करने का वचन देता/ती हूँ।
 17. मैं समझता/ती हूँ/हैं कि बैंक द्वारा केवाईसी से संबंधित ग्राहक की समुचित जांच प्रक्रिया पूरा करने के बाद ही खाता सक्रिय होगा तथा डेबिट की अनुमति दी जाएगी।
 18. मुझे खोले जाने वाले खाते के लिए औसत तिमाही शेष (क्यूएबी) रखने की अपेक्षा के विषय में अवगत कराया गया है और यह समझाया गया है कि ये अपेक्षाएँ संशोधन/परिवर्तन के अधीन हैं और इस तरह के संशोधन/परिवर्तन बैंक की साइट पर अपलोड किए जाएंगे जो मुझे इस बारे में सूचना के रूप में स्वीकार्य होंगे।
 19. मैं/हम खाता खोलने के छः माह के भीतर (यदि खाता आधार/पैन के बिना खोला गया हो) आधार और/अथवा पैन प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ/देते हैं, ऐसा न करने पर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, धन-शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम 2005 के अनुसार, मेरे खाते में परिचालन बंद कर दिया जाएगा।
 20. यदि खाता खोलने के समय वर्तमान पते के लिए मान्य आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) जमा किए गए हैं, तो मैं आधार या ओवीडी में से कोई भी दस्तावेज जिसमें वर्तमान पता है, खाता खोलने की तिथि से 3 महीने के भीतर प्रस्तुत करने का वचन देता/ती हूँ जिसमें विफल होने पर मैं समझता/ती हूँ कि मेरे खाते का परिचालन सम्बद्ध समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बंद हो सकता है।
 21. मैं पृष्ठ करता/ती हूँ और वचन देता हूँ कि मैं वरचुअल करेसी में लेन-देन नहीं करूँगा/करूँगी और अपने खाते का प्रयोग वरचुअल करेसी से संबंधित किसी सेवा के लिए नहीं करूँगा/करूँगी या वरचुअल करेसी की लेन-देन या निपटान में किसी व्यक्ति या संस्था की मदद नहीं करूँगा/गी।
 22. मैं/हम संबंधित खाता योजना में निर्धारित एमएबी (औसत मासिक शेष) रखने का वचन देता हूँ तथा औसत मासिक शेष न रखने पर दंडात्मक शुल्क अदा करने के लिए सहमत हूँ।
 23. मैं/हम समझते हैं कि ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर का पंजीकरण बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के सफल सत्यापन के अधीन है, मैं/हम ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर से जुड़े उत्पाद/सेवाओं का उपयोग मेरे/हमारे द्वारा सफल सत्यापन के पश्चात ही कर पाएँगे।

सीआईएफ सं.

खाता संख्या

परिचालन का तरीका _____

कृपया यहाँ फोटो
चिपकाएं
हस्ताक्षरकर्ता 1

कृपया यहाँ फोटो
चिपकाएं
हस्ताक्षरकर्ता 2

कृपया यहाँ फोटो
चिपकाएं
हस्ताक्षरकर्ता 3

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 1 का हस्ताक्षर (ओवरलैप न करें)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 2 का हस्ताक्षर (ओवरलैप न करें)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 3 का हस्ताक्षर (ओवरलैप न करें)

नाम:
पद:
तिथि:
सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, मुहर एवं जीबीपीए/पीएफ सं.

नाम:
पद:
तिथि:
सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, मुहर एवं जीबीपीए/पीएफ सं.

नाम:
पद:
तिथि:
सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, मुहर एवं जीबीपीए/पीएफ सं.

APPLICANT DECLARATION

- I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it.
- I/We certify that I/we have the capacity to sign for the entity as per the CBDT rules/RBI guidelines.
- I/We certify and declare that The Company does belong to the class of companies specified in sub-rule (2) of the Companies Rules 2017 (Restrictions on number of Layers) and it (Company) does not have more than two layers of subsidiaries. (As per the details given in Ministry of Corporate Affairs, Gazette notification No. 793 dated 21st Sept 2017.
- I/We affirm and declare that I/We have read over and understood the rules and regulations of the Punjab National Bank ("Bank") and those relating to various services offered by the Bank including but not limiting to debit card/internet banking/ Mobile Banking/ whatsapp Banking/Virtual Banking and any other facilities. I/ We agree to abide by the same as amended/modified from time to time by the Bank/Regulator/ Government published through circulars, notifications, notice board/ websites/ newspaper publications, etc. I/We waive the rights ,if any, to have personal notice in respect of such amendments/ modifications. I/We agree that the transactions and requests executed in my/our account(s) by me / authorized person through internet, mobile, telebanking or virtual banking under my/our User ID and password/PIN/OTP will be legally binding on me/us & I/We am/are responsible for the maintenance of secrecy and confidentiality of the authentication credentials and any other information/ details / OTP / PIN etc., in such matters. I/We agree that Bank has got all the rights to debit my/our account for any scheme guidelines and service charge, expenses or other dues which the Bank is entitled/ liable to recover from me/us. I/We also authorize the Bank and agree to close/discontinue my account without any notice to me in case of any violation of laws/rules/ regulations or terms and conditions of maintaining the account. I/We hereby undertake to inform the Bank on any change in my communication address or constitution, and I/We shall submit the address proof in case of transfer of my account from one branch to another branch.
- I/We hereby, give my consent to download my KYC Records from the Central KYC Registry (CKYCR), only for the purpose of verification of my identity and address from the database of CKYCR Registry. I understand that my KYC record include my KYC record/personal information such as my name/address, date of birth, PAN no. etc.
- In respect of accounts opened on the basis of Aadhaar details, I hereby declare that I have submitted the Aadhaar Card issued by UIDAI for identification and / or address proof towards the compliance of KYC norms under the PMLA , 2002 and I hereby agree that the Bank may verify the same with UIDAI and authorise the UIDAI expressly to release the identity and address through biometric authentication to the Bank.
- I/We confirm and declare that I/We am/are not prevented/prohibited/restricted by any applicable legal/regulatory/contractual or other provisions from opening and/or maintaining the accounts or to transact with the Bank in any other way.
- I/We agree that my/our personal KYC details may be shared with Central KYC registry or any other competent authority. I/We hereby consent to receive information from the Bank/Central KYC Registry/Gol/RBI or any other authority through SMS/e-mail on my registered mobile number/ e-mail address. I/We also agree that the non-receipt of any such SMS/e-mail shall not make the Bank liable for any loss or damage whatsoever in nature.
- I/We hereby certify that I/We have declared my status as per the rules applicable under section 285BA of the Income Tax Act, 1961 as notified by Central Board of Direct Taxes (CBDT) vide Notification No. S.O. 2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No. DBR.AML.BC.No.36/ 14.01.001/2015-16 dated 28 August 2015 in the matter including any subsequent modification/amendment thereof.
- I/We understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of Income Tax Act, Rules made thereunder and the guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my/our account(s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the Inter- Governmental Agreements (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) and / or any other similar arrangements.
- I/We certify & declare that the information provided by me/us for opening account and availing other services herein or through website/electronically as applicable to me/us and signed/authenticated by me/us as well as in the documentary evidence provided by me/us for opening account and availing other services are, to the best of my/our knowledge and belief, true, correct and complete and that I/We have not withheld any material information that may affect the assessment/categorization of my/our account as a U.S. Reportable Account or Other Reportable Account or otherwise. In case any of the information or details provided by me/us is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/We am/are aware that I/We may be held liable for it.
- I/We undertake the responsibility to declare and disclose immediately and in no case beyond 30 days from the date of change, any changes that may take place in the information provided herein/or otherwise, as well as in the documentary evidence provided by me or if any certification becomes incorrect or undergoes a change. I further undertake to provide fresh and valid self-certification along with documentary evidence as and when so required; nevertheless all declaration and undertaking given herein will also be applicable to all such modified/amended documents/information provided by me unless revised self-certification as above is provided to the Bank.
- I/We also agree that my/our failure to disclose any material fact/information known to me/us now or in future or my/our failure to remedy any deficiency in documents/ information/other details within the stipulated period, may invalidate me/us from transacting in the account and the Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or to close it or to report to any regulator and/or any authority designated by the Government of India (Gol)/RBI for the said purpose or take any other action as may be deemed appropriate by the Bank under the guidelines issued by CBDT/RBI/Gol from time to time.
- I/We also agree to furnish and intimate to the Bank any other particulars that are called upon me/us to provide on account of any change in law either in India or abroad in relating to the operation or maintenance of the account.
- I/We shall indemnify the Bank from any loss/damage that may be caused to the Bank on account of any defect/mistake in the details provided herein or on account of providing incorrect or incomplete information by me/us.
- I/We undertake to submit data/information together with fresh KYC documents for updation of KYC details at periodical intervals as may be required by the Bank.
- I/We understand that the account will be activated and debits will be allowed only after completion of Customer Due Diligence relating to KYC by the Bank.
- I/We have been advised of Quarterly average/minimum balance requirement for the account to be opened and given to understand that these requirements are subject to revision/change and such revision/changes will be uploaded in the Bank's site which will be acceptable to me as a notice to that effect.
- I/We Undertake to submit Aadhaar and / or PAN within 6 months from the date of opening of account , failing to which I understand my account will cease to be operational as per GOI guidelines, amending Prevention of Money laundering (Maintenance of Records) Rules 2005. (In case the account is opened without Aadhaar / PAN)
- In case, deemed OVDs are submitted for current address at the time of Account opening, I undertake to submit Aadhaar or any of the OVD having Current Address within 3 months from the date of account opening , failing to which I understand that my account may cease to be operational as per GOI guidelines at the material time.
- I confirm and undertake that I will not deal in Virtual Currencies and will not use my account for any services related Virtual Currencies or facilitate any person or entity, in dealing with or settling virtual currencies.
- I/We undertake to keep QAB/MAB (Quarterly/Monthly Average Balance) in the account as prescribed under the respective account scheme and agree to pay the penalty if QAB/MAB is not maintained.
- I/we understand that registration of email ID and Mobile no. are subject to successful validation of email ID & mobile number by me/us as per process prescribed by the bank, I/we will be able to use the product/services linked with email Id & mobile number only after successful validation by me/us.

CIF NO.

A/C NO.

MODE OF OPERATION

Please Paste
Photograph
Here
Signatory 1

Please Paste
Photograph
Here
Signatory 2

Please Paste
Photograph
Here
Signatory 3

Signature of Authorized Signatory 1 (Do not overlap)

Signature of Authorized Signatory 2 (Do not overlap)

Signature of Authorized Signatory 3 (Do not overlap)

Name:
Designation:
Date:
Name, Signature, Seal and GBPA/PF No. of verifying official

Name:
Designation:
Date:
Name, Signature, Seal and GBPA/PF No. of verifying official

Name:
Designation:
Date:
Name, Signature, Seal and GBPA/PF No. of verifying official

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

1. आवेदक से बातचीत की और प्रयोजन अभिनिश्चित किया गया (प्रयोजन का उल्लेख करें) _____
2. क्या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्व-प्रमाणपत्र तथा दस्तावेजों को सत्यापित किया जा चुका है और उन्हें सही एवं विश्वसनीय पाया गया है? हाँ नहीं
(ध्यान रहे प्रमाणपत्र के सामने 'हाँ' होने पर ही खाता खोला जाए)
3. प्राप्त दस्तावेज: स्वतः प्रमाणित सत्यापित प्रतियाँ नोटरी
4. जोखिम संवर्ग/श्रेणी उच्च मध्यम निम्न
5. व्यक्तिगत रूप से सत्यापित किया गया और आवेदक का हस्ताक्षर सत्यापित किया गया : पहचान का सत्यापन किया गया की गई
6. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खाता आवेदन पत्र पर दिए गए स्वाधिकारी इकाई की गतिविधि का सत्यापन किया गया हाँ नहीं

अधिकारी का नाम _____ पीएफ नंबर _____ पदनाम _____

दिनांक : जीबीपीए नंबर _____ हस्ताक्षर: _____

खोली गई सीआईएफ _____ लेनदेन सं. _____ संक्षिप्त हस्ताक्षर _____

दिनांक (अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर) सीआईएफ

खाता खोलें

शाखा प्रबंधक/अधिकृत अधिकारी (हस्ताक्षर) _____

खाता खोलने की तारीख : खाता नंबर :

यदि कोई टिप्पणी करनी है तो _____

मेकर (एसडब्ल्यूओ/अधिकारी)	अधिकृत अधिकारी (हस्ताक्षर)
नाम : _____	नाम : _____
कर्मचारी/ अधिकारी का नाम : _____	कर्मचारी/ अधिकारी का नाम : _____
जीबीपीए नंबर/पीएफ संख्या : _____	जीबीपीए नंबर/पीएफ संख्या : _____
कर्मचारी/ अधिकारी का पदनाम : _____	कर्मचारी/ अधिकारी का पदनाम : _____
कर्मचारी/ अधिकारी की शाखा : _____	कर्मचारी/ अधिकारी की शाखा : _____

खाता बंद करने की तिथि _____ खाता दिनांक _____ शाखा _____ को अंतरित (ट्रांसफर) किया गया

अधिकृत अधिकारी (हस्ताक्षर)

चालू खाते के नियम

1. यदि ग्राहक द्वारा वैकल्पिक चैनलों से चालू खाता नहीं खोला जाता है तो बैंक खाते में राशि जमा करने के लिए ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित जमा पर्ची का उपयोग किया जाना चाहिए। काउंटरफाइनल सहित जमा पर्ची बुक फॉर्म में ग्राहक को उपलब्ध कराई जाएगी और किए गए लेनदेन की प्रविष्टि को काउंटरफाइनल में बैंक के अधिकृत कर्मचारी के आद्याक्षर द्वारा अधिप्रमाणित द्वारा किया जाएगा। जमाकर्ता को स्वयं पुष्टि करनी चाहिए कि लेनदेन ऐसे प्रमाणित किया गया है।
2. बैंक के मुद्रित फॉर्म में ही आहरित किया जाए। इससे भिन्न रूप से आहरित किसी भी चेक का भुगतान बैंक द्वारा रोका जा सकता है। चेक पर किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में बैंक उसका भुगतान रोक सकता है बशर्ते कि उसे आहरणकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया गया है। चेक के आहरण के समय ध्यान दिया जाए कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो तथा उस पर किए गए हस्ताक्षर बैंक के रिकॉर्ड में रखे गए नमूना हस्ताक्षर के समान होने चाहिए।
3. बिना पूर्व व्यवस्था किए ग्राहक को अपने खाता में अधिक आहरण नहीं करना चाहिए, भले ही कितनी कम राशि क्यों ना हो। चालू खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा वर्तमान अनुदेशों के अनुसार दी जाती है। दैनिक शेष पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज लगाया जाएगा।
4. बैंक चेक खोने, चोरी होने आदि के संबंध में आहरणकर्ता के अनुदेश को दर्ज करेगा लेकिन ऐसे चेक का भुगतान होने पर ऐसे मामलों में नुकसान के प्रति जमाकर्ताओं को गारंटी नहीं दे सकता है।
5. बैंक ग्राहक के बिल, ड्राफ्ट, चेक, पेंशन, पे और बिल आदि की वसूली करता है। व्यक्तिगत खातों में, बैंक बाहरी शाखाओं में देय चेक, ड्राफ्ट, लाभांश वारंट आदि के संबंध में निर्दिष्ट सीमा तक तत्काल क्रेडिट प्रदान करता है।
6. स्थानीय चेक आदि की वसूली सीटीएस समाशोधन के माध्यम से की जाएगी।
7. समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों, बिलों की राशि खाते में जमा होने तक उनके प्रति आहरण नहीं किया जाना चाहिए।
8. जो बिल, नोट्स आदि मांग पर देय नहीं हैं उनको वसूली हेतु बैंक के पास देय तिथि से कम से कम एक कार्य दिवस पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
9. आवधिक अंतरालों पर धन प्रेषण आदि के लिए बैंक स्थाई आदेशों को स्वीकार करता है।
10. आवधिक अंतरालों पर ग्राहकों को खाते की विवरणी भेजी जाएगी और किसी भी समय आवेदन करने पर प्राप्त हो सकती है। खातों की प्रविष्टियों की ग्राहक द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए, और यदि कोई त्रुटि या भूलचूक पाई गई है तो उसे तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए। यह सावधानी न बरतने से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
11. ग्राहक के पते में कोई परिवर्तन होने पर तुरंत बैंक को सूचित किया जाना चाहिए। बैंक के साथ उनके सभी पत्राचार और जमा पर्ची आदि पर ग्राहकों को खाता खोलने के समय आवंटित खाता संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए।
12. ग्राहक के आवेदन पर बैंक की किसी अन्य शाखा में खाते को अंतरित किया जा सकेगा
13. बैंक प्रतिभूतियों और शेरों को सुरक्षित अभिरक्षा और ब्याज, लाभांश आदि की वसूली के लिए उन शर्तों पर स्वीकार करता है जिसकी जानकारी आवेदन पर हो सकती है।
14. बैंक के पास किसी भी समय इनमें से किसी भी नियम को बदलने/जोड़ने/हटाने का अधिकार सुरक्षित है।

उद्योग कोड

01. एयरलाइंस/विमानन	15. कैसीनो	29. आयात/निर्यात	43. स्टील/हार्डवेयर
02. विज्ञापन एजेंसी	16. सीमेंट/पेंट	30. विनिर्माण	44. स्टॉक और शेयर
03. कृषि/संबद्ध उद्योग	17. चिटफंड	31. महाजन	45. टेक स्टार्टअप
04. ऑटोमोबाइल	18. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	32. मीडिया/मनोरंजन	46. दूरसंचार
05. ऑटोपार्ट्स	19. कूरियर/कागों	33. चिकित्सा/स्वास्थ्य देखभाल	47. कपड़े/वस्त्र
06. ऑटोफाइनेंस	20. निर्माण/आवासन	34. मार्बल और ग्रेनाइट	48. यात्रा एवं पर्यटन
07. हथियार विक्रेता	21. कंसल्टेंसी(सलाहकार सेवाएं)	35. तेल एवं गैस	49. परिवहन एवं मालवहन
08. बैंकिंग/वित्तीय सेवाएं	22. इलेक्ट्रॉनिक्स	36. पेट्रोल पंप	50. विदेशी मुद्रा व्यापारी/बुलियन
09. इंजीनियरिंग एवं कैपिटल गुड्स	23. फर्नीचर/लकड़ी	37. फार्मास्यूटिकल्स	51. पेशेवर (डॉक्टर, वकील, इंजीनियरिंग सलाहकार, मानव संसाधन)
10. खाद्य/रसायन/बीज	24. सरकारी निकाय	38. पावर/बिजली	52. रिटेल चैन/एफएमसीजी
11. कीटनाशक	25. होटल/रेस्तरां	39. मुद्रण/प्रकाशन	53. आईटी सेवाएं
12. मत्स्य पालन/मुर्गी पालन	26. अस्पताल/क्लिनिक/नर्सिंगहोम	40. धार्मिक संस्थाएं	
13. जवाहरात/आभूषण	27. इन्फ्रास्ट्रक्चर	41. विज्ञान एवं प्रयोगिकी	
14. कॉल सेंटर/बीपीओ	28. बीमा	42. स्कूल/कॉलेज/संस्थाएं	

क. 'केवल कार्यालय उपयोग हेतु' खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण दिशानिर्देश:

1. खाते का प्रकार: केवल एफपीआई श्रेणी I और श्रेणी II के लिए सरलीकृत रूप का उपयोग किया जाए।
2. खाताधारक का प्रकार:

यूएस रिपोर्ट करने योग्य (एफएटीसीए) एफ-1- स्वामी- निर्दिष्ट यूएस स्वामी/ स्वामियों सहित प्रलेखित एफआई एफ2 - वास्तविक यूएस स्वामी/स्वामियों सहित निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई एस3 -गैर-प्रतिभागी एफएफआई एस4-निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति एफएफ5 -एनएफएफई को प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग	अन्य रिपोर्ट करने योग्य (एफएटीसीए के अलावा) सी1- निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई जिसमें एक या उससे अधिक ऐसे नियंत्रणकर्ता व्यक्ति हैं जो कि रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति हैं सी2- अन्य रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति सी3- निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई जो कि सीआरएस रिपोर्ट करने योग्य है XX -लागू नहीं
--	--

ख. 'इकाई संरचना प्रकार' खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण दिशानिर्देश

क.एकल स्वामित्व ईकाई ख.भागीदारी फर्म ग.एचयूएफ घ.प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ङ.पब्लिक लिमिटेड कंपनी च.सोसाइटी छ.व्यक्तियों का संघ (एओपी/व्यक्तियों का निकाय (बीओआई))	ज.न्यास झ.परिसमापक ञ.सीमित देयता भागीदारी ट.कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति ठ.सरकारी क्षेत्र के बैंक ड.सरकारी विभाग/ एजेंसी	ढ.विदेश संविभाग ण.धारा 8 की कंपनियां (कंपनी अधिनियम 2013) त.कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति थ.गैर वर्गीकृत द.अन्य
---	--	--

- ग. 'इकाई विवरण' खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश:
 1. एकल स्वामित्व इकाई के लिए, यदि पैर नहीं है, तो फॉर्म 60 भरें
 2. पहचान का प्रकार: टी-टिन सी-कंपनी पहचान नंबर, जी-यूएस जीआईआईएन, ई-ग्लोबल इकाई पहचान नंबर (ईआईएन), ओ-अन्य
 - घ. 'पहचान का प्रमाण' [पीओआई] खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण/ दिशानिर्देश
 1. सभी संबंधी दस्तावेजों की प्रामाणिक प्रति, जैसा लागू हो, प्रस्तुत की जानी है।
 2. संबंधित नियामक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए लागू केवाईसी दस्तावेज।
 3. पृष्ठ 16 (आवश्यक केवाईसी दस्तावेज) पर विभिन्न स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए आवश्यक दस्तावेज दिए गए हैं।
 4. कंपनियों के लिए 'कारोबार शुरू करने की तिथि' अनिवार्य है, और अन्य इकाई लागू हो तो भरें।
 - ङ. 'पते का प्रमाण' [पीओए] खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश:
 1. विदेशी पते के लिए राज्य/यूटी का नाम तथा पिन/पोस्ट कोड अनिवार्य नहीं है।
 2. विविध पत्राचार/स्थानीय पते के मामले में कृपया अनुबंध III भरें
 - च. 'संपर्क विवरण' खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण/ दिशानिर्देश
 1. कृपया दो अंकीय देश कोड और 10 अंक वाले मोबाइल नंबर का उल्लेख करें (उदाहरण के लिए भारतीय मोबाइल नंबर हेतु 91-9999999999)
 2. मोबाइल नंबर के आरम्भ में शून्य नहीं लगाएं।
 - छ. 'नियंत्रणकर्ता/संबंधित व्यक्ति विवरण' खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश
 1. प्रत्येक नियंत्रणकर्ता/संबंधित व्यक्ति/लाभार्थी स्वामी के लिए अलग-अलग अनुबंध (ए11) भरें
 - II. व्यक्तिगत विवरण
 - 1) नाम: कृपया संबोधन (श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉक्टर/आदि...) सहित नाम लिखिए। नाम पहचान के प्रमाण से मेल खाने चाहिए अन्यथा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।
 - 2) या तो पिता का नाम या जीवनसाथी का नाम अनिवार्य रूप से भरा जाए। यदि पैर उपलब्ध नहीं है, तो पिता का नाम अनिवार्य है।
 - III. कर उद्देश्य के लिए भारत के बाहर का निवासी होने के मामले में
 - 1) विविध कर आवासीय के विवरण भरने हेतु प्रावधान अनुबंध III में उपलब्ध है।
 - 2) कर पहचान संख्या (टीआईएन): यदि टीआईएन अधिकार क्षेत्र द्वारा जारी नहीं किया गया है तो टीआईएन का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, यदि उक्त अधिकार क्षेत्र ने पहचान के समकक्ष स्तर ("कार्यात्मक समकक्ष") के साथ एक उच्च अखंडता संख्या जारी की है, तो इसकी सूचना दी जा सकती है। व्यक्ति के लिए उस प्रकार के नंबर के उदाहरणों में, एक सामाजिक सुरक्षा/बीमा का नंबर, नागरिक/व्यक्तिगत पहचान/सेवा कोड/नंबर और निवासी का पंजीकरण नंबर शामिल हैं।

- iv. पहचान का प्रमाण [पीओआई]
 1. यदि एक ड्राइविंग लाइसेंस नंबर व्यक्ति के पहचान के प्रमाण के रूप में दिया जाता है, तो अनिवार्य रूप से उसकी समाप्ति की तिथि भी दी जाए।
 2. यदि 'जेड' अन्य (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई दस्तावेज) के सामने टिक लगाया गया है, तो पहचान/संदर्भ संख्या का उल्लेख करें।
 - v. पते का प्रमाण [पीओए]
 1. पते का प्रमाण केवल उस प्रकरण में प्रस्तुत करें यदि पहचान के प्रमाण पर पता ना हो या पहचान के प्रमाण का पता वैध नहीं हो या लागू नहीं हो।
 2. विदेशी पते के लिए राज्य/यूटी का नाम तथा पिन/पोस्ट कोड देना अनिवार्य नहीं है।
 - vi. नियंत्रणकर्ता व्यक्ति के लिए खंड 1ए और संबंधित व्यक्ति के लिए खंड 1बी भरें।
 - vii. नियंत्रणकर्ता व्यक्ति के विवरण की आवश्यकता तब होगी जब आयकर नियमों के अनुसार विधिक ईकाई निष्क्रिय एनएफई (गैर वित्तीय इकाई) है।
 - viii. यदि संबंधित या नियंत्रणकर्ता व्यक्ति के केवाईसी नंबर उपलब्ध है, तो केवल व्यक्ति का प्रकार और नियंत्रणकर्ता संबंधी व्यक्ति का नाम दिया जाए।
- नियंत्रणकर्ता व्यक्ति का तात्पर्य उस नैसर्गिक व्यक्ति से है जो इकाई का नियंत्रण करता है तथा इसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (अभिलेखों का रखरखाव) नियम 2005 के 9 के उप नियम 3 के अनुसार निर्धारित लाभार्थी स्वामी भी शामिल है।

- स्पष्टीकरण 1- लाभार्थी स्वामी का निर्धारण करने हेतु समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित परिपत्रों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-
1. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 18 जनवरी 2013 का परिपत्र क्रमांक डीबीओडी. एएमएल. बीसी क्रमांक 71/14.01.001/2012-13 या
 2. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 24 जनवरी 2013 का परिपत्र सीआईआर/एमआईआरएसडी/2/2013
 3. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 4 फरवरी 2013 को जारी परिपत्र आईआरडीए/एसडीडी/जीडीएल/सीआईआर/019/02/2013
- स्पष्टीकरण 2- न्यास के मामले में, नियंत्रणकर्ता व्यक्ति का तात्पर्य व्यवस्थापनकर्ता, न्यासकारी, संरक्षणकर्ता (यदि कोई है), लाभार्थी या लाभार्थी समूह तथा कोई भी नैसर्गिक व्यक्ति जिसका न्यास पर प्रभावी नियंत्रण है तथा न्यास के अलावा अन्य विधिक व्यवस्था के मामले में इसका तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो उसके समतुल्य या सामान्य पद पर है।

विधिक इकाई का प्रकार	नियंत्रणकर्ता व्यक्ति (सीपी) का प्रकार	लागू मद
एकल स्वामित्व	एकल स्वामी	नियंत्रणकर्ता व्यक्ति आवश्यक नहीं
हिन्दू अविभाजित परिवार	• कर्ता	सी09-विधिक व्यवस्था के अनुसार नियंत्रणकर्ता व्यक्ति अन्य सेटलर:या
भागीदारी	• प्रत्येक सहदायिक (को पारसंनर)	सी10 -विधिक व्यवस्था के अनुसार नियंत्रणकर्ता व्यक्ति अन्य न्यासी समान
	• स्वामित्व	सी 12-विधिक व्यवस्था के अनुसार नियंत्रणकर्ता व्यक्ति अन्य लाभार्थी समान
	• अन्य साधन	सी01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व
सोसाइटी	• वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी	सी01-विधिक व्यक्ति का सीपी अन्य साधन
	• स्वामित्व	सी-03 विधिक व्यक्ति का सीपी-वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी
	• अन्य साधन	सी01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व
एओपी/बीओआई	• वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी	सी-02-विधिक व्यक्ति का सीपी अन्य साधन
	• स्वामित्व	सी-03 विधिक व्यक्ति का सीपी-वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी
	• अन्य साधन	सी-01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व
न्यास	• वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी	सी-02-विधिक व्यक्ति का सीपी अन्य साधन
	• सदस्य (स्वामी)	सी03 विधिक व्यक्ति का सीपी-वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी
	• व्यवस्थापक के समतुल्य	सी01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व
	• न्यासी के समतुल्य	सी09-विधिक व्यवस्था के अनुसार नियंत्रणकर्ता व्यक्ति अन्य सेटलर:या
	• संरक्षक के समतुल्य	सी10-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपीअन्य ट्रस्टी के समान
	• लाभार्थी के समतुल्य	सी11-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी अन्य संरक्षक के समान
परिसमापक सीमित देयता भागीदार	• अन्य	सी12-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी अन्य-लाभार्थी के समान
	• व्यवस्थापक	सी13-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी अन्य-अन्य के समान
	• न्यासी	सी04-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी न्यास- सेटलर
	• संरक्षक	सी05-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी न्यास- न्यासी
	• लाभार्थी	सी06-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी न्यास- संरक्षक
	• अन्य	सी07-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी न्यास- लाभार्थी
कृत्रिम विधिक व्यक्ति		सी08-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी न्यास- अन्य
	• व्यवस्थापक के समतुल्य	नियंत्रणकर्ता व्यक्ति आवश्यक लागू नहीं
	• न्यासी	सी01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व
कृत्रिम विधिक व्यक्ति	• संरक्षक	सी02-विधिक व्यक्ति का सीपी अन्य साधन
	• लाभार्थी	सी03 विधिक व्यक्ति का सीपी-वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी
	• अन्य	सी09-विधिक व्यवस्था के अनुसार नियंत्रणकर्ता व्यक्ति अन्य सेटलर:या
		सी10-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी अन्य ट्रस्टी के समान
		सी11-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी अन्य संरक्षक के समान
		सी12-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी अन्य-लाभार्थी के समान
	सी13-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी अन्य-अन्य के समान	

GENERAL INSTRUCTIONS:

A. Clarification / Guidelines for filling 'For Office Use Only' section

1. Account Type : Simplified should be used for FPI Category I and Category II only.
2. Account Holder Type :

US Reportable (FATCA)	Other Reportable (Other than FATCA)
F1- Owner- Documented FI with specified US owner(s)	C1- Passive Non- Financial Entity with one or more controlling person that is a Reportable person
F2- Passive Non –Financial Entity with substantial US owner(s)	C2- Other Reportable Person
F3- Non- Participating FFI	C3- Passive Non- Financial Entity that is a CRS Reportable
F4- Specified US person	XX- Not Applicable
F5-Direct Reporting NFFE	

B. Clarification / Guidelines for filling ' Entity Constitution type' section

Entity Constitution Type

A- Sole Proprietorship	H- Trust	N- Foreign Portfolio
B- Partnership firm	I- Liquidator	O- Section 8 Companies (Companies Act, 2013)
C- HUF	J- Limited Liability Partnership	P- Artificial Judicial Person
D- Private Limited Company	K- Artificial Juridical Person	X- Not Categorized
E- Public Limited Company	L- Public Sector Banks	Z- Others
F- Society	M- Government Departments/ Agency	
G- Association of Persons (AOP)/ Body of Individuals (BOI)		

C. Clarification / Guidelines for filling 'Entity Details' section

1. For sole proprietorship Concerns, in case of non- availability of PAN, Form 60 needs to be furnished
2. Identification Type: T- TIN, C- Company Identification Number, G-US GIIN, E- Global Entity Identification Number (EIN), O- Others

D. Clarification / Guidelines for filling 'Proof of Identity[PoI]' section

1. Certified copies of all the relevant documents, as applicable, needs to be submitted.
2. KYC requirements for Foreign Portfolio Investors (FPIs) will be as specified by the concerned regulator from time to time.
3. Details of the Required Documents for different Entity Constitution Types are mentioned in Page 16 (KYC Documents Required)
4. 'Date of Commencement of Business' is mandatory for companies, and other entities may provide if applicable.

E. Clarification / Guidelines for filling 'Proof of Address [PoA]' section

1. State / U.T Name and Pin / Post Code will not be mandatory for Overseas addresses.
2. In case of multiple correspondence / local addresses, please fill 'Annexure III'

F. Clarification / Guidelines for filling 'Contact Details' section

1. Please mention two- digit country code and 10 digit mobile number (e.g. for Indian mobile number mention 91-9999999999).
2. Do not add '0' in the beginning of Mobile number.

G. Clarification / Guidelines for filling 'Controlling/Related Person Details' section

- i. Fill Separate Annexure (A11) for each Controlling/ Related Person/Beneficial Owner.
- ii. Personal Details
 - 1 Name: Please state the name with Prefix (Mr/Mrs/Ms/Dr/etc.). The name should match the name as mentioned in the Proof of Identity submitted failing which the application is liable to be rejected.
 - 2 Either father's name or spouse's name is to be mandatorily furnished. In case PAN is not available father's name is mandatory.
- iii. Resident outside India for tax purposes
 - 1 Provision for capturing multiple Tax residency details is made available (Annexure III)
 - 2 Tax Identification Number (TIN): TIN need not be reported if it has not been issued by the jurisdiction. However, if the said jurisdiction has issued a high integrity number with an

equivalent level of identification ("Functional equivalent"), the same may be reported. Examples of that type of number for individual include, a social security/insurance number, citizen/personal identification/services code/number and resident registration number)

iv. Proof of Identity [PoI]

- 1 If driving license number or passport is provided as PoI then expiry date is to be mandatorily furnished.
- 2 Mention identification / reference number if 'Z- Others (any document notified by the central government)' is ticked.

v. Proof of Address [PoA]

- 1 PoA to be submitted only if the submitted PoI does not have an address or address as per PoI is invalid or not in force.
 - 2 State / U.T Name and Pin / Post Code will not be mandatory for Overseas addresses.
- vi. Section 1 A to be filled for Controlling Person and Section 1 B to be filled for related Person.
 - vii. The details of Controlling Persons are required only if the Legal Entity is Passive NFE as defined in the Income Tax Rules

- viii. If KYC number of Related or Controlling person is available, no other details except 'Person Type' and 'Name of the Controlling/Related Person' are required.

"Controlling Person" means the natural person who exercises control over an entity and includes a beneficial owner as determined under sub-rule (3) of rule 9 of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005.

Explanation 1.- In determining the beneficial owner, the procedure specified in the following circular as amended from time to time shall be applied, namely:-

- (i) DBOD.AML.BC. No.71/14.01.001/2012-13, issued on the 18th January, 2013 by the Reserve Bank of India; or
- (ii) CIR/MIRSD/2/2013, issued on the 24th January, 2013 by the Securities and Exchange Board of India; or
- (iii) IRDA/SDD/GDL/CIR/019/02/2013, issued on the 4th February, 2013 by the Insurance Regulatory and Development Authority.

Explanation 2.- In the case of a trust, the controlling person means the settlor, the trustees, the protector (if any), the beneficiaries or class of beneficiaries and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust and in the case of a legal arrangement other than a trust, the said expression means the person in equivalent or similar position.

Type of legal entity	Type of controlling person (CP)	Permissible values
Sole proprietorship	Sole proprietor	CP not required
Hindu Undivided Family	• Karta	C09 – CP of legal arrangement - Other-settlor equivalent; or C10- CP of legal arrangement - Other-Trustee equivalent
	• Each Coparcener	C12 - CP of legal arrangement - Other-beneficiary equivalent
Partnership	• Ownership	C01- CP of legal person - ownership
	• Other means	C01 - CP of legal person – other means
	• Senior managing officials	C03 - CP of legal person – senior managing official
Company	• Ownership	C 01 -CP of legal person - ownership
	• Other means	C 02 -CP of legal person – other means
	• Senior managing official	C 03 - CP of legal person – senior managing official
Society	• Ownership	C 01 -CP of legal person - ownership
	• Other means	C 02 - CP of legal person – other means
	• Senior managing official	C 03 - CP of legal person – senior managing official
AOP/BOI	• Members (owners)	C 01 - CP of legal person - ownership
	• Settlor Equivalent	C 09 – CP of legal arrangement –Other-settlor equivalent
	• Trustee equivalent	C 10 – CP of legal arrangement –Other-trustee equivalent
	• Protector Equivalent	C 11 – CP of legal arrangement –Other-protector equivalent
	• Beneficiary Equivalent	C 12 – CP of legal arrangement –Other-beneficiary equivalent
	• Others	C 13 – CP of legal arrangement –Other-Other equivalent
Trust	• Settlor	C 04 – CP of legal arrangement –Trust-settlor
	• Trustee	C 05 – CP of legal arrangement –Trust-trustee
	• Protector	C 06 – CP of legal arrangement –Trust-protector
	• Beneficiary	C 07 – CP of legal arrangement –Trust-beneficiary
	• Others	C 08 – CP of legal arrangement –Trust-Other
Liquidator		CP not required
Limited Liability Partnership	• Partners(ownership)	C 01 - CP of legal person - ownership
	• Other means	C 02-CP of legal person – other means
	• Senior Managing officials	C 03 - CP of legal person – senior managing official
Artificial Juridical Person	• Equivalent of Settlor	C 09 – CP of legal arrangement –Other-settlor equivalent
	• Trustee	C 10 – CP of legal arrangement - Other - trustee equivalent
	• Protector	C 11 – CP of legal arrangement - Other - protector equivalent
	• Beneficiary	C 12 – CP of legal arrangement - Other - beneficiary equivalent
	• others	C 13 – CP of legal arrangement - Other - Other equivalent

ज.	<p>निष्क्रिय गैर वित्तीय संस्था: इससे आशय निम्न से है</p> <ol style="list-style-type: none"> कोई भी ऐसी गैर वित्तीय संस्था जो सक्रिय गैर वित्तीय संस्थान नहीं है, या कोई भी ऐसी निवेश संस्था जिसकी कुल आय मुख्य रूप से वित्तीय अस्तियों में निवेश पुनर्निवेश अथवा व्यापार से आती हो, यदि इस संस्था का प्रबंध किसी अन्य संस्था तथा डिपॉजिटरी संस्था, अभिरक्षा संस्था, विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी अथवा नीचे के नोट में उल्लिखित निवेश संस्था द्वारा किया जाता है। फॉरेन पार्टनरशिप अथवा फॉरेन ट्रस्ट में धारिता न होना ("फॉरेन पार्टनरशिप में धारिता" का आशय ऐसी विदेशी भागीदारी से है, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ धारिता करार किया है, जिसमें अपने भागीदारों, लाभार्थियों अथवा मालिकों को सभी भुगतान करने हेतु प्राथमिक धारिता जिम्मेदारी लेने के लिए वह सहमत हो।) <p>नोट:</p> <ol style="list-style-type: none"> कोई भी ऐसी संस्था जो ग्राहक के लिए अथवा उसकी ओर से व्यवसाय के तौर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियों अथवा परिचालनों में से कोई एक गतिविधि अथवा परिचालन करती है यथा: <ol style="list-style-type: none"> मुद्रा बाजार लिखतों (चेक, बिल, जमा प्रमाणपत्र, डेरिवेटिव्स आदि); विदेशी मुद्रा, विनिमय ब्याज दर एवं इंडेक्स लिखतों अंतरणीय प्रतिभूतियों अथवा पण्य भावी सौदों का व्यापार करती है; वैयक्तिक एवं सामूहिक संविभाग प्रबंधन अथवा अन्य व्यक्तियों की ओर से निवेश, प्रशासन अथवा वित्तीय आस्तियों अथवा मुद्रा का प्रबंधन। <p>स्पष्टीकरण 1: ऊपर 1 में बताई गई गतिविधियों में से एक अथवा एक से अधिक गतिविधियां करने अथवा निवेश संस्था अर्थात् निष्क्रिय संस्था के प्रयोजनों से किसी संस्था की कुल आय मूलतया वित्तीय आस्तियों में निवेश, पुनर्निवेश अथवा व्यापार से आने, यदि संस्था की कुल आय (i) संकल्प किए जाने के पूर्व वर्ष के 31 मार्च को समाप्त 3 वर्ष की अवधि अथवा (ii) संस्था के अस्तित्व में होने की अवधि के दौरान की कुल आय के 50% के बराबर अथवा उससे अधिक होने पर किसी संस्था को व्यवसाय करने वाली संस्था माना जाएगा।</p> <p>स्पष्टीकरण 2: "निवेश संस्था" शब्द में सक्रिय गैर वित्तीय संस्था शामिल नहीं है, क्योंकि वह नियम 114 च के खंड 6 के स्पष्टीकरण खंड (क) के उपखंड (iv), (v), (vi) अथवा (vii) के किसी मानदंड को पूरा करती है। (1) लाभार्थ; (2) ब्याज; (3) ब्याज के बराबर की आय; (4) किराया एवं रॉयल्टी (गैर- वित्तीय संस्था के कर्मचारियों द्वारा सक्रिय रूप से किए गए व्यवसाय से आंशिक रूप से प्राप्त किराया एवं रॉयल्टी से भिन्न); (5) वार्षिकी (6) वित्तीय अस्तियों की बिक्री अथवा विनिमय की हानियों की तुलना में अतिरिक्त लाभ जिससे पैसिव आय बढ़ती है (7) किसी वित्तीय आस्ति के लेनदेन (पयूचर्स वायदा ऑप्शंस एवं इस प्रकार के लेनदेन सहित) में हानियों पर अतिरिक्त लाभ (8) विदेशी मुद्रा हानियों की तुलना में हुए विदेश मुद्रा के अतिरिक्त लाभ (9) अदला बदली से प्राप्त निवल आय अथवा (10) नकद मूल्य के बीमा ठेकों से प्राप्त राशियां शामिल है। बशर्ते कि व्यापारी के रूप में नियमित रूप से कार्य करने वाली गैर वित्तीय संस्था के मामले में डीलर के रूप में ऐसे व्यापार की सामान्य अवधि में किए गए किसी भी लेनदेन से प्राप्त आय पैसिव आय में शामिल नहीं होगी। सम्बद्ध संस्था -अन्य किसी संस्था की सम्बद्ध संस्था होती है यदि वह अन्य संस्था का नियंत्रण करती है अथवा दोनों संस्थाएं एक ही नियंत्रण में आती हैं।</p> <p>स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन से नियंत्रण में किसी संस्था के 50% से अधिक मत और मूल्य का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व का नियंत्रण भी शामिल है।</p>
झ.	<p>सक्रिय एनएफई निम्नलिखित में से कोई एक है</p> <ol style="list-style-type: none"> पिछले वित्तीय वर्ष में इकाई की सकल आय 50% से कम होने पर वह पैसिव आय है और इकाई के द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में 50% से कम आस्तियों के धारिता की स्थिति को पैसिव आय उत्पन्न करने वाला माना जाएगा; या इकाई के स्टॉक नियमित रूप से स्थापित सिक्वोरिटी मार्केट में खरीद बिक्री किए जाते हो या गैर वित्तीय इकाई इस इकाई से संबंधित हो जिसके स्टॉक नियमित रूप से स्थापित सिक्वोरिटी मार्केट में खरीद बिक्री किए जाते हो। स्पष्टीकरण- इस उप धारा के उद्देश्य से स्थापित सिक्वोरिटी मार्केट का आशय ऐसे एक्सचेंज से है जिसकी सरकारी प्राधिकारियों द्वारा पुनर्गठन एवं देखरेख की जाती है जहां यह स्थित है और जहां अर्थपूर्ण वार्षिक मूल्य की ट्रेडिंग होती है। वह इकाई सरकारी इकाई है या अंतरराष्ट्रीय संस्था है या केंद्रीय बैंक या पूर्ववर्ती के द्वारा एक या एक से अधिक पूर्णतः स्वामित्व वाली इकाई है। काफी हद तक इकाई की गतिविधियां बकाया स्टॉक रखना (पूर्णतः या अंशतः) या वित्तीय सेवा प्रदान करने के व्यवसाय के अतिरिक्त ट्रेडस या व्यवसाय में संलग्न एक या उससे अधिक सहयोगी कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बशर्ते कि इकाई के विषय में यह प्रमाणित नहीं होना चाहिए कि वह निवेश निधि जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड, वैचर कैपिटल फंड, लीवरेज फंड, या अन्य कोई निवेश संस्था नहीं है जिसका उद्देश्य कंपनी का अधिग्रहण या फंड करना है और फिर निवेश के उद्देश्य के लिए पूंजीगत आस्तियों के रूप में उन कंपनियों में ब्याज को रखना; या इकाई अभी परिचालन नहीं कर रही है और इसके परिचालन का कोई इतिहास भी नहीं है किन्तु आस्तियों में इस उद्देश्य से पूंजी निवेश कर रही है कि वित्तीय कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनी का परिचालन कर सके बशर्ते कि कंपनी गठन के चोबीस महीनों के बाद इस अपवाद के अंतर्गत न हो या इकाई पिछले 5 वर्षों में वित्तीय इकाई न हो और अपनी आस्तियों को लिक्विडेट करने की प्रक्रिया में हो या पुनर्गठन कर रही हो ताकि इतर व्यवसाय जारी रख सके या इकाई प्रामाणिक रूप से ऐसे संस्थान के लिए वित्तीय या हेजिंग ट्रांजेक्शन या संबंधित इकाइयों के लिए जो वित्तीय इकाइयों नहीं है और किसी भी कार्य के लिए वित्तीय या हेजिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं कराती है बशर्ते कि इकाई प्राथमिक रूप से वित्तीय सेवाओं से इतर व्यवसाय से संबंधित हो। इकाई निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो जिनके नाम हैं <ol style="list-style-type: none"> यह धार्मिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, खेल-कूद या शिक्षण से संबंधित उद्देश्यों से भारत में स्थापित और परिचालित इकाई हो या यह प्रोफेशनल संस्थान, बिजनेस लीग, चेंबर ऑफ कॉमर्स, श्रम संगठन, कृषि या बागवानी संस्थान, सिविक लीग या केवल सामाजिक कल्याण के कार्यों में संलग्न भारत में स्थापित और परिचालित संस्था हो; यह भारत में आयकर से छूट प्राप्त हो। इसमें कोई ऐसा शीयरधारक या सदस्य ना हो जिसका इसमें प्रोप्राइटी या आस्तियों की आय में रुचि हो इकाई के देश के लागू कानून या निवास का क्षेत्र या गठन दस्तावेज इकाई की किसी आय या आस्ति को वितरण या किसी निजी व्यक्ति या गैर चैरिटी संस्था को लाभ, जो संस्था के चैरिटी के कार्यों से इतर हो या सेवाओं के बदले बाजार कीमतों पर भुगतान की अनुमति न देना हो जिसे इकाई ने खरीदा हो। इकाई के देश के लागू कानून या निवास का क्षेत्र या गठन दस्तावेज यह घोषित करता हो कि संस्था लिक्विडेशन या डिसेल्यूशन के बाद इसकी समस्त आस्तियां सरकारी संस्था या जो अलाभकारी संस्था या सरकार के स्वामित्व वाली इकाई के क्षेत्राधिकार या किसी राजनीतिक इकाई को दी जाएगी <p>स्पष्टीकरण- इस उप-धारा के उद्देश्य हेतु निम्नलिखित को संबंधित उप-धारा के मानदंडों को पूरा करने वाला माना जाए</p> <ol style="list-style-type: none"> धारा (23 ईए) में उल्लिखित निवेशक संरक्षक फंड न लघु उद्योगों के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के लिए उल्लिखित धारा 23 ईवी और अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (23 ईसी) के अंतर्गत निवेशक संरक्षक फंड
ञ.	<p>संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यक्ति इनमें से कोई भी हो सकता है</p> <ol style="list-style-type: none"> संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका का कर निवासी; अथवा साझेदारी या व्यापारिक संघ जो संयुक्त राज्य अमेरिका में संयोजित है यह संयुक्त राज्य अमेरिका या उसके किसी राज्य के कानून के तहत संयोजित किया जाता है; या ट्रस्ट (1) जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर एक अदालत को लागू कानून के तहत अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के प्रशासन से संबंधित सभी मुद्दों या आदेशों के बारे में पर्याप्त निर्णय दे या (3) एक या अधिक संयुक्त राज्य के व्यक्ति के पास सभी पर्याप्त निर्णय को नियंत्रित करने का ट्रस्ट के अधिकार है, या मृतक की संपत्ति जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नागरिक या निवासी है <p>ट. संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्दिष्ट व्यक्ति- संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यक्ति जो निम्न के अतिरिक्त है</p> <ol style="list-style-type: none"> ऐसे व्यापार संघ का स्टॉक जिनका कारोबार नियमित रूप से एक या अधिक स्थापित प्रतिभूति बाजारों में किया जाता है। कोई भी व्यापार संघ जो एक ही विस्तारित सम्बद्ध समूह का सदस्य है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 1471 (ई) (2) में परिभाषित है जैसा खंड (क) में व्यापार संघ वर्णित है। संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी भी पूर्ण स्वामित्व वाली एजेंसी या उसके साधन। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई भी राज्य कोई भी संयुक्त राज्य क्षेत्र, किसी भी पूर्वगामी के किसी भी राजनीतिक उप विभाजन, या किसी पूर्ण स्वामित्व वाली एजेंसी या पूर्वगामी के किसी एक या अधिक साधन। संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 501 (ए) या संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व कोड की धारा 7701 (A) 37 में परिभाषित व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति योजना के तहत किसी भी संगठन को कर से छूट प्राप्त है। कोई बैंक जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 581 में परिभाषित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 856 में परिभाषित कोई भी रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट। कोई भी ट्रस्ट जो संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक राजस्व कोड की धारा 664 सी के तहत कर से मुक्त है या जो की संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व कोड की धारा 4947 (क) (1) में वर्णित है। प्रतिभूतियों, कमोडिटी या डेरिवेटिव वित्तीय साधनों (जिसमें प्रमुख प्रिंसिपल अनुबंध, वायदा, आगे और विकल्प शामिल है) का डीलर जो संयुक्त राज्य या किसी राज्य के कानून के तहत पंजीकृत है। एक दलाल जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व कोड की धारा 6045 सी में परिभाषित किया गया है। किसी भी कर-मुक्त ट्रस्ट को जिसे योजना के तहत छूट दी गई है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक राजस्व कोड की धारा 403 (बी) या धारा 457 (जी) में वर्णित है।
ठ.	<p>प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एनएफएफई</p> <p>प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एनएफएफई का अर्थ ऐसे एनएफएफई से होगा जो प्रत्यक्ष राज्य को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के मालिक के बारे में निश्चित जानकारी आईआरएस को रिपोर्ट करने का चुनाव करता है, इसके बदले में वित्तीय संस्था को ऐसी जानकारी प्रदान करता है जिसके पास एनएफएफई वित्तीय खाता रखता है। प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एंड एनआईएफई जीआईआईएन प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आईआरएस के साथ पंजीकृत करता है। इस तरह की प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एनएफएफई को नियम 114 एफ से 114 एच के तहत सूचित किया जाना आवश्यक है।</p>

H.	<p>Passive NFE : It means</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Any NFE which is not an Active NFE, or ii. An investment entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets, if the entity is managed by another entity that is a depository institution, a custodial institution, a specified insurance company, or an investment entity described in the note below. iii. Not a withholding foreign partnership or withholding foreign trust ("Withholding foreign partnership" means a foreign partnership that has entered into a withholding agreement with the United States of America in which it agrees to assume primary withholding responsibility for all payments which are made to it for its partners, beneficiaries or owners). <p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Any entity that primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer, namely:- <ol style="list-style-type: none"> i. Trading in money market instruments (Cheques, bills, certificates of deposit, derivatives etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading; or ii. Individual and collective portfolio management; or iii. Otherwise investing, administering, or managing financial assets or money on behalf of other persons. <p>Explanation 1:- An entity is treated as primarily conducting as a business one or more of the activities described in 1 above, or an entity's gross income is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets for purposes of Investment Entity that is a Passive Entity, if the entity's gross income attributable to the relevant activities equals or exceeds 50 percent of the entity's gross income during the shorter of: (i) the three-year period ending on 31st March of the year preceding the year in which the determination is made; or (ii) the period during which the entity has been in existence.</p> <p>Explanation 2:- The term "investment entity" does not include an Entity that is an active non-financial entity because it meets any of the criteria in sub-clauses (iv), (v), (vi) or (vii) of clause (A) of Explanation to clause (6) of Rule 114F.</p> <p>Passive income - includes income by way of: (i) dividends; (ii) interest; (iii) income equivalent to interest; (iv) rents and royalties (other than rents and royalties derived in the active conduct of a business conducted, at least in part, by employees of the non-financial entity); (v) annuities; (vi) the excess of gains over losses from the sale or exchange of financial assets that gives rise to the passive income; (vii) the excess of gains over losses from transactions (including futures, forwards, options, and similar transactions) in any financial assets; (viii) the excess of foreign currency gains over foreign currency losses; (ix) net income from swaps; or (x) amounts received under cash value insurance contracts:</p> <p>Provided that passive income will not include, in the case of a non-financial entity that regularly acts as a dealer in financial assets, any income from any transaction entered into in the ordinary course of such dealer's business as such a dealer.</p> <p>Related Entity - an entity is a "related entity" of another entity if either entity controls the other entity, or the two entities are under common control.</p> <p>Explanation. - For the purpose of this clause control includes direct or indirect ownership of more than fifty per cent of the vote and value in an entity.</p>
I.	<p>Active NFE is any one of the following</p> <ol style="list-style-type: none"> i. less than fifty per cent of the entity's gross income for the preceding financial year is passive income and less than fifty per cent of the assets held by the entity during the preceding financial year are assets that producer are held for the production of passive income; OR ii. the stock of the entity is regularly traded on an established securities market or the non-financial entity is a related entity of an entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market. Explanation.- For the purpose of this sub-clause, an established securities market means an exchange that is recognized and supervised by a Governmental authority in which the securities market is located and that has a meaningful annual value of shares traded on the exchange; OR iii. the entity is a Governmental Entity or an International Organization or a Central Bank or an entity wholly owned by one or more of the foregoing; OR iv. substantially all of the activities of the entity consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a financial institution: Provided that an entity shall not qualify for this status if it functions as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes; OR v. the entity is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution, provided that the entity shall not qualify for this exception after the date that is twenty four months after the date of the initial organization of the entity OR vi. the entity was not a financial institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with intent to continue or recommence operations in a business other than that of a financial institution; OR vii. the entity primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, related entities which are not financial institutions, and does not provide financing or hedging services to any entity which is not a related entity, provided that the group of any such related entities is primarily engaged in a business other than that of a financial institution; OR viii. the entity meets all of the following requirements, namely:- <ol style="list-style-type: none"> a. It is established and operated in India exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in India and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labour organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare; b. It is exempt from income-tax in India; c. It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets; d. The applicable laws of the entity's country or territory of residence or the entity's formation documents do not permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; and e. The applicable laws of the entity's country or territory of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the entity's jurisdiction of residence or any political subdivision thereof. <p>Explanation.- For the purpose of this sub-clause, the following shall be treated as fulfilling the criteria provided in the said sub-clause, namely:-</p> <ol style="list-style-type: none"> I. an Investor Protection Fund referred to in clause (23EA); II. a Credit Guarantee Fund Trust for Small Industries referred to in clause 23EB; and III. an Investor Protection Fund referred to in clause (23EC), of section 10 of the Act
J.	<p>A US Person is any of the following</p> <ol style="list-style-type: none"> a. A U. S. citizen or Tax Resident of US; OR b. A partnership or a corporation organized in the US or under the law of the US or any states thereof; OR c. A trust (i) where a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U. S. Persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, OR d. an estate of the decedent that is a citizen or resident of the United States.
K.	<p>Specified US Person - A US Person other than the following</p> <ol style="list-style-type: none"> a. A corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets b. Any corporation that is a member of the same expanded affiliated group, as defined in section 1471(e)(2) of the U.S. Internal Revenue Code, as a corporation described in clause (a) c. The United States or any wholly owned agency or instrumentality thereof d. Any State of the United States, any U. S. Territory, any political subdivision of any of the foregoing, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing e. Any organization exempt from taxation under section 501(a) of the U.S. Internal Revenue Code or an individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37) of the U.S. Internal Revenue Code f. Any bank as defined in section 581 of the U. S. Internal Revenue Code; g. Any real estate investment trust as defined in section 856 of the U. S. Internal Revenue Code h. Any regulated investment company as defined in section 851 of the U. S. Internal Revenue Code or any entity registered with the U.S. Securities and Exchange Commission under the Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a-64) i. Any common trust fund as defined in section 584(a) of the U. S. Internal Revenue Code; j. Any trust that is exempt from tax under section 664(c) of the U.S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code k. A dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any State; l. A broker as defined in section 6045(c) of the U.S. Internal Revenue Code m. Any tax-exempt trust under a plan that is described in section 403(b) or section 457(g) of the U.S. Internal Revenue Code S
L.	<p>Direct Reporting NFFE</p> <p>A direct reporting NFFE will mean an NFFE that elects to report directly to the US IRS certain information about its direct or indirect substantial U.S. owners, in lieu of providing such information to FIs with which the NFFE holds a financial account. Direct Reporting NFE registers with the US IRS to obtain GIIN. Such Direct Reporting NFFEs are required to be reported under Rules 114F to 114H</p>

देश	देश कोड	देश	देश कोड	देश	देश कोड	देश	देश कोड
अफगानिस्तान	एएफ	इक्वाडोर	ईसी	लियूटेन्सटिन	एलआई	संट मार्टिन (फ्रेंच पार्ट)	एमएफ
अलैंड आइसलैंड	एएक्स	इजिप्ट	ईजी	लियुआनिया	एलटी	संट पियरे एंड मिकलन	पीएम
अल्बानिया	एएल	ईआई साल्वाडोर	एसवी	लक्जमबर्ग	एलयू	संट विन्सेंट एंड द ग्रनेडाइंस	वीसी
अल्जीरिया	डीजेड	इक्वेटोरियल गयाना	जीक्यू	मकाऊ	एमओ	सामोआ	डब्ल्यूएस
अमेरिकन समोआ	एएस	एट्रिया	ईआर	मेसेडोनिया, द फॉर्मर युगोस्लाव	एमके	सैन मैरीनो	एसएम
एंडोरा	एडी	एस्टोनिया	ईई	रिपब्लिक ऑफ	एमके	साओ टॉम एंड प्रिंसिप	एसटी
अंगोला	एओ	इथोपिया	ईटी	मेडागास्कर	एमजी	सउदी अरब	एसए
अंगुला	एआई	फॉकलैंड्स आइसलैंड्स (मालविनास)	एफके	मालावी	एमडब्ल्यू	सेनेगल	एसनएल
अंटार्कटिका	एन्यू	फेरो आइसलैंड्स	एफओ	मलेशिया	एमवाई	सर्विया	आरएस
एंटीगुआ एंड बरबुडा	एजी	फिजी	एफजे	मालदीव्स	एमवी	सेशेल्स	एससी
अर्जेंटीना	एआर	फिनलैंड	एफआई	माली	एमएल	सियरा लिओन	एसएल
अर्मेनिया	एएम	फ्रंस	एफआर	माल्टा	एमटी	सिंगापुर	एसजी
अरुबा	एडब्ल्यू	फ्रेंच गुयाना	जीएफ	मार्शल आइसलैंड्स	एमएच	सिंट मार्टिन (डच पार्ट)	एसएक्स
ऑस्ट्रेलिया	एव्यू	फ्रेंच पोलिनेशिया	पीएफ	मार्टिनिक	एमक्यू	स्लोवाकिया	एसके
आस्ट्रिया	एटी	फ्रेंच सदर्न टेरीटोरीज	टीएफ	मॉरीटानिया	एमआर	स्लोवेनिया	एसआई
अज़रबैजान	एजेड	गैबॉन	जीए	मॉरीशस	एमयू	सोलोमन आइलैंड्स	एसवी
बहमास	बीएस	गाम्बिया	जीएम	मेयोट	वाईटी	सोमालिया	एसओ
बहरीन	बीएच	जॉर्जिया	जीई	मेक्सिको	एमएक्स	साउथ अफ्रीका	जेडए
बंगलादेश	बीडी	जर्मनी	डीई	माइक्रोनेशिया फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ	एफ एम	साउथ जॉर्जिया एंड द साउथ	
बरबादोस	बीबी	घाना	जीएच	मोलडोवा, रिपब्लिक ऑफ	एमडी	सैंडविच आइलैंड्स	जीएस
बेलारुस	बीवाई	जिब्राल्टार	जीआई	मोनेको	एमसी	साउथ सुडान	एसएस
बेल्जियम	बीई	ग्रीस	जीआर	मंगोलिया	एमएन	स्पेन	ईएस
बेनीन	बीजेड	ग्रीनलैंड	जीएल	मोनटेंग्रो	एमई	श्रीलंका	एलके
बेनिन	बीजे	ग्रेंनेडा	जीडी	मोन्टेसेरट	एमएस	सुडान	एसडी
बरमुडा	बीएम	गुआडेलोप	जीपी	मोरक्को	एमए	सूरीनाम	एसआर
भूटान	बीटी	ग्वा	जीयू	मोजाम्बिक	एमजेड	स्वलबाड एंड जन मेयन	एसजे
बोलीविया, प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ	बीओ	ग्वाटेमाला	जीटी	म्यानमार	एमएम	स्वाजीलैंड	एसजेड
बोनायर सिंट इस्ट्रुअस एंड साबा	बीक्यू	गर्नसे	जीजी	नामीबिया	एनए	स्वीडेन	एसई
बोस्निया एंड हर्जगोविना	बीए	गुएनिया	जीएन	नौरू	एनआर	स्विट्जरलैंड	सीएच
बोत्सवाना	बीडब्ल्यू	गैनिया-बिसाऊ	जीडब्ल्यू	नेपाल	एनपी	सीरियन अरब रिपब्लिक	एसवाई
बोवेट आइसलैंड्स	बीवी	गुयाना	जीवाई	नेदरलैंड्स	एनएल	ताइवान, प्रॉविन्स आफ चाइना	टीडब्ल्यू
ब्राजील	बीआर	हैती	एचटी	न्यू केलीडोनिया	एनसी	तजाकिस्तान	टीजे
ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरीटरी	आईओ	हार्डआइसलैंड एंड मैकडोनाल्ड आइलैंड	एचएम	न्यूजीलैंड	एनजेड	तंजानिया, युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ	टीजेड
ब्रुनेल दारुसलाम	बीएन	होली सी (वेटिकन सिटी स्टेट)	वीए	निकारागुआ	एन आई	थाइलैंड	टीएच
बुल्गारिया	बीजी	होन्डुरस	एचएन	निगेर	एनई	टीमोर-लेस्ते	टीएल
बुर्किना फासो	बीएफ	हंग कांग	एचएन	नाइजीरिया	एनजी	टोंगा	टीजी
बुरुंडी	बीआई	हंगरी	एचयू	नियूज़	एनयू	टोकलाऊ	टीके
काबो वर्डे	सीवी	आइसलैंड	आईएस	नॉरफॉल्क	एनएफ	टोंगा	टीओ
कम्बोडिया	केएच	इंडिया	आईएन	नॉर्डन मैरियाना आइलैंड्स	एमपी	त्रिनिदाद एंड टोबैगो	टीटी
कैमरून	सीएम	इंडोनेशिया	आईडी	नॉर्वे	एनओ	ट्युनीशिया	टीएन
कनाडा	सीए	ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ	आईआर	ओमान	ओएम	टर्की	टीआर
कैमन आइसलैंड्स	केवाई	इराक	आईक्यू	पाकिस्तान	पीके	तुर्कमिनिस्तान	टीएम
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक	सीएफ	आयरलैंड	आईई	पलाऊ	पीडब्ल्यू	तुर्कस एंड कालकोसा आइलैंड्स	टीसी
चाड	टीडी	आइल ऑफ मैन	आईएम	फिलिस्तीन, स्टेट ऑफ	पीएस	दुबालू	टीवी
चिली	सीएल	इसरायल	आईएल	पनामा	पीए	युगान्डा	यूजी
चीन	सीएन	इटली	आईटी	पपुआ न्यू गुयाना	पीजी	युक्रेन	यूए
क्रिसमस आइसलैंड्स	सीएक्स	जमाइका	जेएम	प्रांवे	पीवाई	युनाइटेड अरब अमीरात	ईई
कोकोस(कीलिंग) आइलैंड्स	सीसी	जापान	जेपी	पेरु	पीई	युनाइटेड किंगडम	जीबी
कोलम्बिया	सीओ	जर्सी	जेई	फिलीपींस	पीएच	युनाइटेड स्टेट्स	यूएस
कोमोरोस	केएम	जॉर्डन	जेओ	पिटकेयर्न	पीएन	युनाइटेड स्टेट्स माइनर	यूएम
कांगो	सीजी	कजाकिस्तान	केजेड	पोलैंड	पीएल	उरुग्वे	यूवाई
कांगो, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द	सीडी	केन्या	केई	पुर्तगाल	पीटी	उजबेकिस्तान	यूजेड
कुक आइसलैंड्स	सीके	किरिबाटी	केआई	पियोरटो रिस्को	पीआर	वनुआतू	वीयू
कोस्टा रिका	सीआर	कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स	केपी	कतर	क्यूए	वेनेजुएला, बोलीवैरियन	
कोटडिव्वायर/कोटडिव्वायर	सीआई	रिपब्लिक ऑफ	केपी	रीयूनियन ! रीयूनियन	आई	रिपब्लिक ऑफ	वीई
क्रोएशिया	एचआर	कोरिया, रिपब्लिक ऑफ	केआर	रोमानिया	आरओ	विएट नाम	वीएन
क्यूबा	सीयू	कुवैत	केडब्ल्यू	रशियन फेडरेशन	आरयू	विरजिन आइलैंड्स, ब्रिटिश	वीजी
कुराकाओ !	सीडब्ल्यू	किरगिस्तान	केजी	रवांडा	आरडब्ल्यू	विरजिन आइलैंड्स, यू.एस.	वीआई
साइप्रस	सीवाई	लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक	एलए	सेंट बारथेलेमी सेंट बारथेलेमी	बीएल	वालिस एंड फुटुना	डब्ल्यूएफ
चेक रिपब्लिक	सीजेड	लताविया	एलवी	सेंट हेलेना, एसीनेशन		वेस्टर्न सहारा	ईएच
डेनमार्क	डीके	लेबनान	एलबी	एंड ट्रिस्टान डा कुनहा	एसएच	यमन	वाईई
जिबूती	डीजे	लेसोथो	एलएस	सेंट किट्स एंड नेविस	केएन	जाम्बिया	जेडएम
डोमिनिका	डीएम	लिबेरिया	एलआर	सेंट लूसिया	एलसी	जिम्बाबवे	जेडडब्ल्यू
डॉमिनिकेन रिपब्लिक	डीओ	लीबिया	एलवाई	सेंट मार्टिन (फ्रेंच पार्ट)	एमएफ		

राज्य कोड

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार दो अक्षरों वाले राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की सूची

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कोड	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कोड	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कोड
अंडमान व निकोबार	एएन	हिमाचल प्रदेश	एचपी	पाण्डिचेरी	पीवाई
आंध्रप्रदेश	एपी	जम्मू व कश्मीर	जेके	पंजाब	पीबी
अरुणाचल प्रदेश	एआर	झारखंड	जेएच	राजस्थान	आरजे
असम	एसएस	कर्नाटक	केए	सिक्किम	एसके
बिहार	बीआर	केरल	केएल	तमिलनाडु	टीएन
चंडीगढ़	सीएच	लक्षद्वीप	एलडी	तेलंगाना	टीएस
छत्तीसगढ़	सीजी	मध्य प्रदेश	एमपी	त्रिपुरा	टीआर
दादर व नगर हवेली	डीएन	महाराष्ट्र	एमएच	उत्तर प्रदेश	यूपी
दमन व दीव	डीडी	मणिपुर	एमएम	उत्तराखंड	यूए
दिल्ली	डीएल	मेघालय	एमएल	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबी
गोवा	जीए	मिजोरम	एमजेड	अन्य	XX
गुजरात	जीजे	नागालैंड	एनएल		
हरियाणा	एचआर	उड़ीसा	ओआर		

COUNTRY CODES (ISO 3166)

Country	Country Code	Country	Country Code	Country	Country Code	Country	Country Code
Afghanistan	AF	Dominican Republic	DO	Libya	LY	Saint Pierre and Miquelon	PM
Aland Islands	AX	Ecuador	EC	Liechtenstein	LI	Saint Vincent and the Grenadines	VC
Albania	AL	Egypt	EG	Lithuania	LT	Samoa	WS
Algeria	DZ	El Salvador	SV	Luxembourg	LU	San Marino	SM
American Samoa	AS	Equatorial Guinea	GQ	Macao	MO	Sao Tome and Principe	ST
Andorra	AD	Eritrea	ER	Macedonia, the former Yugoslav Republic of	MK	Saudi Arabia	SA
Angola	AO	Estonia	EE	Madagascar	MG	Senegal	SN
Anguilla	AI	Ethiopia	ET	Malawi	MW	Serbia	RS
Antarctica	AQ	Falkland Islands (Malvinas)	FK	Malaysia	MY	Seychelles	SC
Antigua and Barbuda	AG	Faroe Islands	FO	Maldives	MV	Sierra Leone	SL
Argentina	AR	Fiji	FJ	Mali	ML	Singapore	SG
Armenia	AM	Finland	FI	Malta	MT	Sint Maarten (Dutch part)	SX
Aruba	AW	France	FR	Marshall Islands	MH	Slovakia	SK
Australia	AU	French Guiana	GF	Martinique	MQ	Slovenia	SI
Austria	AT	French Polynesia	PF	Mauritania	MR	Solomon Islands	SB
Azerbaijan	AZ	French Southern Territories	TF	Mauritius	MU	Somalia	SO
Bahamas	BS	Gabon	GA	Mayotte	YT	South Africa	ZA
Bahrain	BH	Gambia	GM	Mexico	MX	South Georgia and the South Sandwich Islands	GS
Bangladesh	BD	Georgia	GE	Micronesia, Federated States of	FM	South Sudan	SS
Barbados	BB	Germany	DE	Moldova, Republic of	MD	Spain	ES
Belarus	BY	Ghana	GH	Monaco	MC	Sri Lanka	LK
Belgium	BE	Gibraltar	GI	Mongolia	MN	Sudan	SD
Belize	BZ	Greece	GR	Montenegro	ME	Suriname	SR
Benin	BJ	Greenland	GL	Montserrat	MS	Svalbard and Jan Mayen	SJ
Bermuda	BM	Grenada	GD	Morocco	MA	Swaziland	SZ
Bhutan	BT	Guadeloupe	GP	Mozambique	MZ	Sweden	SE
Bolivia, Plurinational State of	BO	Guam	GU	Myanmar	MM	Switzerland	CH
Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BQ	Guatemala	GT	Namibia	NA	Syrian Arab Republic	SY
Bosnia and Herzegovina	BA	Guernsey	GG	Nauru	NR	Taiwan, Province of China	TW
Botswana	BW	Guinea	GN	Nepal	NP	Tajikistan	TJ
Bouvet Island	BV	Guinea-Bissau	GW	Netherlands	NL	Tanzania, United Republic of	TZ
Brazil	BR	Guyana	GY	New Caledonia	NC	Thailand	TH
British Indian Ocean Territory	IO	Haiti	HT	New Zealand	NZ	Timor-Leste	TL
Brunei Darussalam	BN	Heard Island and McDonald Islands	HM	Nicaragua	NI	Togo	TG
Bulgaria	BG	Holy See (Vatican City State)	VA	Niger	NE	Tokelau	TK
Burkina Faso	BF	Honduras	HN	Nigeria	NG	Tonga	TO
Burundi	BI	Hong Kong	HK	Niue	NU	Trinidad and Tobago	TT
Cabo Verde	CV	Hungary	HU	Norfolk Island	NF	Tunisia	TN
Cambodia	KH	Iceland	IS	Northern Mariana Islands	MP	Turkey	TR
Cameroon	CM	India	IN	Norway	NO	Turkmenistan	TM
Canada	CA	Indonesia	ID	Oman	OM	Turks and Caicos Islands	TC
Cayman Islands	KY	Iran, Islamic Republic of	IR	Pakistan	PK	Tuvalu	TV
Central African Republic	CF	Iraq	IQ	Palau	PW	Uganda	UG
Chad	TD	Ireland	IE	Palestine, State of	PS	Ukraine	UA
Chile	CL	Isle of Man	IM	Panama	PA	United Arab Emirates	AE
China	CN	Israel	IL	Papua New Guinea	PG	United Kingdom	GB
Christmas Island	CX	Italy	IT	Paraguay	PY	United States	US
Cocos (Keeling) Islands	CC	Jamaica	JM	Peru	PE	United States Minor Outlying Islands	UM
Colombia	CO	Japan	JP	Philippines	PH	Uruguay	UY
Comoros	KM	Jersey	JE	Pitcairn	PN	Uzbekistan	UZ
Congo	CG	Jordan	JO	Poland	PL	Vanuatu	VU
Congo, the Democratic Republic of the	CD	Kazakhstan	KZ	Portugal	PT	Venezuela, Bolivarian Republic of	VE
Cook Islands	CK	Kenya	KE	Puerto Rico	PR	Viet Nam	VN
Costa Rica	CR	Kiribati	KI	Qatar	QA	Virgin Islands, British	VG
Cote d'Ivoire Côte d'Ivoire	CI	Korea, Democratic People's Republic of	KP	Reunion Réunion	RE	Virgin Islands, U.S.	VI
Croatia	HR	Korea, Republic of	KR	Romania	RO	Wallis and Futuna	WF
Cuba	CU	Kuwait	KW	Russian Federation	RU	Western Sahara	EH
Curacao Curaçao	CW	Kyrgyzstan	KG	Rwanda	RW	Yemen	YE
Cyprus	CY	Lao People's Democratic Republic	LA	Saint Barthelemy Saint Barthélemy	BL	Zambia	ZM
Czech Republic	CZ	Latvia	LV	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	SH	Zimbabwe	ZW
Denmark	DK	Lebanon	LB	Saint Kitts and Nevis	KN		
Djibouti	DJ	Lesotho	LS	Saint Lucia	LC		
Dominica	DM	Liberia	LR	Saint Martin (French part)	MF		

STATE CODES

LIST OF TWO- DIGIT STATE / U.T CODES AS PER INDIAN MOTOR VEHICLE ACT, 1988 I

State/U.T	Code	State/U.T	Code	State/U.T	Code
Andaman & Nicobar	AN	Himachal Pradesh	HP	Pondicherry	PY
Andhra Pradesh	AP	Jammu & Kashmir	JK	Punjab	PB
Arunachal Pradesh	AR	Jharkhand	JH	Rajasthan	RJ
Assam	AS	Karnataka	KA	Sikkim	SK
Bihar	BR	Kerala	KL	Tamil Nadu	TN
Chandigarh	CH	Lakshadweep	LD	Telengana	TS
Chattisgarh	CG	Mahya Pradesh	MP	Tripura	TR
Dadra and Nagar Haveli	DN	Maharashtra	MH	Uttar Pradesh	UP
Daman & DILI	DD	Manipur	MM	Uttarakhand	UA
Delhi	DL	Meghalaya	ML	West Bengal	WB
Goa	GA	Mizoram	MZ	Other	XX
Gujarat	GJ	Nagaland	NL		
Haryana	HR	Orissa	OR		

क्रम सं.	संस्था का प्रकार	केवाईसी दस्तावेज
1.	स्वामित्व	<p>स्वामित्व फर्म के नाम पर कारोबार/गतिविधि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज भी प्राप्त किए जाएंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> सरकार द्वारा जारी उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) सहित पंजीकरण प्रमाणपत्र। दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ लाइसेंस। बिक्री एवं आयकर विवरण। सीएसटी/वैट/जीएसटी प्रमाण पत्र। विक्रय कर/सेवा कर/व्यावसायिक कर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पंजीकरण दस्तावेज। महानिदेशक, विदेश व्यापार कार्यालय (डीजीएफटी) द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से जारी आईईसी (आयातक/निर्यातक कूट) संविधि के अंतर्गत स्थापित किसी व्यावसायिक निकाय द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से जारी लाइसेंस/गतिविधि प्रमाण पत्र। प्रतिष्ठान के एकल स्वामी के नाम से तथा आयकर प्राधिकारियों के द्वारा विधिवत प्रमाणित/अभिसूचित संपूर्ण आयकर विवरणी (केवल पावती नहीं) जिसमें प्रतिष्ठान की आय भी प्रदर्शित हो। स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से यूटिलिटी बिल जैसे- बिजली, पानी, लैंडलाइन, टेलीफोन बिल।
2.	भागीदारी फर्म	<p>निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> पंजीकरण प्रमाण पत्र; भागीदारी विलेख; भागीदारी फर्म का स्थायी खाता संख्या; लाभार्थी स्वामी, प्रबंधक, अधिकारी या कर्मचारी, जैसा मामला हो, की ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा धारक, के संबंध में दस्तावेज जैसा की धारा 2 में निर्दिष्ट है। सभी भागीदारों के नाम और पंजीकृत कार्यालय और उसके कारोबार के मुख्य स्थान का पता, यदि वह अलग हो। फर्म के निमित्त जिनके नाम से पीओए (मुख्तारनामा) जारी किया गया है ऐसे व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या या फॉर्म 60 या भागीदारी के मामले में परिचालन का तरीका खाता खोलने के फॉर्म में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए (अर्थात् सभी भागीदार संयुक्त रूप से/अलग-अलग (अकेले), भागीदार 1 और 2 संयुक्त रूप से/अलग-अलग (अकेले) आदि) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जिसमें सभी लाभार्थी स्वामियों का नाम, उनकी शेयर धारिता, नियंत्रक हित तथा दावेदारी का ब्यौरा शामिल हो (अनुलग्नक IV)। सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित भागीदारी पत्र दिनांक..... क्रमांक..... प्राप्त किया जाए। (साझेदारी फर्मों के मामले में अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाना है)। मुख्तारनामा धारकों के पते। पीएनबी 38 पर प्राप्त साझेदारी पत्र
3.	लिमिटेड कंपनियां	<p>निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> निगमन प्रमाण पत्र; संस्था के बहिर्नियम तथा अंतर्नियम; कंपनी का स्थायी खाता संख्या; निदेशक मंडल से संकल्प तथा उसके प्रबंधको, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को उसकी ओर से लेनदेन करने हेतु मुख्तारनामा; लाभार्थी स्वामी, प्रबंधक, अधिकारी या कर्मचारी, जैसा मामला हो, की ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा धारक, के संबंध में दस्तावेज जैसा की धारा 2 में निर्दिष्ट है। वरिष्ठ प्रबंधन पद धारण करने वाले संबंधित व्यक्तियों के नाम; और पंजीकृत कार्यालय और उसके कारोबार के मुख्य स्थान का पता, यदि वह अलग है। कंपनी के निमित्त जिनके नाम से पीओए (मुख्तारनामा) जारी किया गया है ऐसे व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या या फॉर्म 60 या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में कारोबार शुरू होने का प्रमाण पत्र। सीआईएन क्रमांक। वर्तमान पते का प्रमाण। कोई भी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज उन लोगों की पहचान जिन्हें मुख्तारनामा के अनुसार खाते का परिचालन करने का अधिकार है (जैसा कि वैयक्तिक खातों पर लागू है) तथा खाते का परिचालन करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों एवं लाभार्थी मालिकों के केवाईसी विवरण। संयुक्त पूंजी कंपनियों के रजिस्टर से इस आशय का दिनांक..... का प्रमाण पत्र कि कंपनी कारोबार करने के लिए पात्र है (निरीक्षण, मुख्तारनामा रजिस्टर में दर्ज करने और वापस करने के लिए)। इसकी एक प्रति रख ली जाए। (यह प्रमाण पत्र तब आवश्यक नहीं होगा जब) <ul style="list-style-type: none"> क. कंपनी निजी कंपनी हो। ख कंपनी का पंजीकरण वर्ष 1913 से पहले किया गया हो और वह शेयरों के अभिदान हेतु जनता को आमंत्रित नहीं करती हो। ग कंपनी गारंटी से लिमिटेड है और उसके पास शेयर पूंजी नहीं है। निम्नलिखित तर्ज पर खाते का परिचालन करने वाले दिनांक..... के संकल्प की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर ली गई:- हम एतद्वारा द्वारा प्रमाणित करते हैं कि..... कंपनी के निदेशक मंडल का निम्नलिखित संकल्प दिनांक..... को आयोजित बोर्ड की बैठक में पारित किया गया। तथा इसे उक्त कंपनी की कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत दर्ज किया गया :- "यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी का बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में खोला जाए और..... द्वारा कंपनी की ओर से आहरित/स्वीकृत/तैयार किए गए चेक विनिमय बिल एवं वचन पर स्वीकार करने और खाते के संबंध में दिए गए किसी भी अनुदेश पर कार्रवाई करने चाहे वह अध्याहरित (ओवर ड्राउन) हो या नहीं, या कंपनी के लेनदेन से संबंधित हो, के लिए इस बैंक को एतद्वारा प्राधिकृत करता हूं। <p style="text-align: center;">ह/- अध्यक्ष</p> <p style="text-align: center;">ह/- निदेशक</p> <p style="text-align: center;">ह/- सचिव</p> <ol style="list-style-type: none"> सभी संबद्ध व्यक्तियों अथवा लाभार्थी स्वामियों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य प्रवर्तक आदि के पैन, प्रत्येक लाभार्थी स्वामी के लिए अलग अनुलग्नक II प्राप्त किया जाना चाहिए।
4.	सोसाइटी/ एसोसिएशन/ क्लब	<p>अनिगमित एसोसिएशन या वैयक्तिक निकायों के खातों हेतु यथा लागू केवाईसी दस्तावेज। संस्था के पैन कार्ड या फॉर्म 60 की प्रति। अन्य दस्तावेज</p> <ol style="list-style-type: none"> दिनांक..... को पंजीकृत संस्था के बहिर्नियम और दिनांक..... का संस्था के अंतर्नियम की प्रति प्राप्त की जानी चाहिए। खाता खोलने हेतु प्रबंधन निकाय का संकल्प। खाता संचालन हेतु समिति की नियम एवं शर्तें दिनांक..... तथा संकल्प दिनांक..... प्राप्त की जानी चाहिए। सरकारी/सैन्य आदेश दिनांक..... प्राप्त किया जाना चाहिए (जहां लागू हो।) सभी संबंधित व्यक्तियों या सभी लाभकारी स्वामियों के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य प्रवर्तक/ सचिव आदि के पैन, या प्रत्येक लाभकारी स्वामी हेतु अलग से अनुलग्नक II प्राप्त किया जाना चाहिए।
5.	हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)	<p>निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाए:</p> <ol style="list-style-type: none"> संयुक्त हिंदू परिवार पत्र दिनांक..... सभी वयस्क हमवारिसों द्वारा हस्ताक्षरित। कर्ता और हमवारिसों से संबंधित धारा 2 के अंतर्गत यथा उल्लिखित पहचान संबंधी सूचना। हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) एवं कर्ता का उद्घोषणा। प्रमुख हमवारिसों द्वारा उनके नाम एवं पते सहित विधिवत स्व-प्रमाणित हालकि पासपोर्ट आकार की फोटो स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) या समतुल्य ई-दस्तावेज या आयकर नियम, 1962 में यथा परिभाषित फॉर्म 60। किसी हमवारिस की मृत्यु पर, नए हमवारिस के जन्म पर अथवा किसी हमवारिस के वयस्क होने पर (18 वर्ष), निम्न घोषणा के साथ नया संयुक्त हिन्दू परिवार पत्र निष्पादित किया जाना चाहिए (ए) जमाकर्ता, संयुक्त परिवार का कर्ता है। (बी) जमाराशि संयुक्त हिंदू परिवार से संबंधित है।
6.	ट्रस्ट	<p>निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> पंजीकरण प्रमाणपत्र; न्यास विलेख; न्यास का स्थायी खाता सं. (पैन कार्ड) या फॉर्म 60; लाभार्थी स्वामी, प्रबंधक, अधिकारी या कर्मचारी, जैसा मामला हो, की ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा धारक, के संबंध में दस्तावेज जैसा की धारा 2 में निर्दिष्ट है। ट्रस्ट के लाभकारियों, ट्रस्टी, सेटलर और प्रवर्तकों के नाम ट्रस्ट के पंजीकृत कार्यालय का पता; और ट्रस्टियों एवं दस्तावेजों की सूची, जैसा कि ट्रस्टी के रूप में भूमिका निभाने वाले और ट्रस्ट की ओर से लेनदेन करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों से संबंधित धारा 2 के तहत व्यक्तियों हेतु अपेक्षित है। ट्रस्ट के स्थान पर मुख्तारनामा धारक व्यक्ति को जारी किया गया पैन नंबर अथवा फॉर्म 60। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जिसमें सभी लाभकारी स्वामियों के नाम तथा उनकी शेयर धारिता/ नियंत्रक हित/ दावेदारिया के ब्यौरा शामिल हो। (अनुबंध III) चेक हस्ताक्षर करने, प्राधिकार सौंपने, पैसा उधार लेने आदि के लिए न्यासियों की शक्तियों पर विशेष जोर देने के साथ-साथ न्यास विलेख दिनांक..... के संबंधित आहरण की प्रति प्राप्त की गई और उसका अवलोकन किया गया है। संबंधित भाग को मुख्तारनामा रजिस्टर में दर्ज किया गया है। संकल्प की एक प्रति। सभी ट्रस्ट खातों को अपरिहार्य रूप से उच्च जोखिम वाले खातों के रूप में दर्ज किया जाए।

क्रम सं.	संस्था का प्रकार	केवाईसी दस्तावेज
7.	अनिगमित संगठन या व्यक्तियों का निकाय	निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे: 1. ऐसे संगठन या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंधन निकाय का संकल्प। 2. निगमित संगठन या व्यक्तियों के निकाय का स्थायी खाता संख्या या फॉर्म नं 60 3. उनकी तरफ से लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा। 4. लाभार्थी स्वामी, प्रबंधक, अधिकारी या कर्मचारी, जैसा मामला हो, की ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा धारक और बैंक द्वारा अपेक्षित ऐसी कोई सूचना जिसके माध्यम से विधिक रूप से इस प्रकार के संगठन अथवा व्यक्तियों के निकायों की मौजूदगी सुनिश्चित हो सके, से संबंधित दस्तावेज जैसा की धारा 2 में निर्दिष्ट है। स्पष्टीकरण: अपंजीकृत ट्रस्ट/ भागीदारी फर्म 'अनिगमित संगठन' शब्द के तहत शामिल किया जाएगा। स्पष्टीकरण: शब्द 'व्यक्तियों के निकाय' में सोसाइटी शामिल है। 5. उनकी तरफ से पीओ धारक व्यक्ति को जारी स्थायी खाता संख्या अथवा फॉर्म नं 60 6. बैंक द्वारा अपेक्षित ऐसी कोई सूचना जिसके माध्यम से विधिक रूप से इस प्रकार के संगठन अथवा व्यक्तियों के निकायों की मौजूदगी सुनिश्चित हो सके। 7. राजनीतिक दलों के मामले में ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के अलावा यह 4 और दस्तावेज संलग्न करने होंगे- i. निर्वाचन आयोग द्वारा यह पुष्टि करते हुए प्रमाण पत्र कि उक्त राजनैतिक दल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 29(क) के अंतर्गत पंजीकृत है तथा उक्त दल को लोकसभा अथवा विधानसभा हेतु आयोजित विगत साधारण निर्वाचन स्थिति जो भी हो में कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। ii. राजनैतिक दल के स्थापन अथवा नियम एवं विनियम। iii. खाता लेनदेन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का फोटोग्राफ, अर्थात् जिनके पक्ष में मुख्तारनामा स्वीकृत हो। iv. राजनीतिक दल का पता प्रमाणित करने हेतु दस्तावेज निष्पादको, प्रशासको और परिसमापको हेतु पहचान का प्रमाण।
8.	निष्पादक, प्रशासक और परिसमापक	निष्पादक, प्रशासक और परिसमापक के पहचान का प्रमाण 1. प्रोबेट अथवा प्रशासकीय पत्र या कंपनी अधिनियम दिनांक..... के अंतर्गत प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। (निरीक्षण के लिए विविध दस्तावेज रजिस्टर में प्रविष्टि एवं वापसी) उसकी एक प्रति का प्रतिधारण किया जाना चाहिए। i. यदि एकाधिक निष्पादक/ प्रशासक/ परिसमापक नियुक्त होता है, तो खाता संचालन को नियंत्रित करते हुए उन सभी के द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। ii. निष्पादक, प्रशासक एवं परिसमापक सामान्यतः अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन किसी तीसरे पक्ष के लिए नहीं कर सकेंगे। iii. सभी संबंधित व्यक्तियों या लाभकारी स्वामियों का पैन, प्रत्येक लाभकारी स्वामियों से अलग से अनुबंध-। प्राप्त किया जाना चाहिए। कर संबंधी प्रयोजन के लिए आवास का प्रमाण। iv. सरकारी एजेंसी या नगरपालिका सहित किसी प्राधिकृत सरकारी निकाय द्वारा इकाई के संबंध में जारी सरकारी दस्तावेज, जिसमें इकाई का नाम, और उस देश/क्षेत्र में उस इकाई का प्रधान कार्यालय का पता शामिल होता है, जिसमें वह उस देश या क्षेत्र का निवासी होने का दावा करता है, जिसमें वह इकाई निगमित या संगठित थी; v. यदि इकाई भारत के बाहर किसी देश अथवा प्रदेश का निवासी हो, संबंधित सरकारी निकाय/ एजेंसी द्वारा जारी टीआईएन पत्र
9.	सरकारी प्राधिकरण और न्यायिक व्यक्ति	सोसायटी, विश्वविद्यालय और स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत आदि, या जो ऐसे न्यायिक व्यक्ति या व्यक्तियों या ट्रस्ट की ओर से कार्य करने का इरादा रखते हैं, निम्नलिखित दस्तावेजों या उनके समकक्ष दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाएंगी और सत्यापित की जाएंगी: क) संस्था की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के नाम को दर्शाने वाला दस्तावेज। ख) उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा धारक व्यक्ति, के दस्तावेज जैसा की धारा 2 में निर्दिष्ट है। ग) ऐसी संस्था/न्यायिक व्यक्ति के कानूनी अस्तित्व को स्थापित करने के लिए बैंक द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज।

आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज :

आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों की सूची में सिर्फ निम्न पांच हैं :-

1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. आधार संख्या होने का प्रमाण: जहाँ ग्राहक आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज के रूप में आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, वह ऐसे स्वरूप में उसे प्रस्तुत करें जैसा कि भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो।
4. भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र।
5. एनआईडीए (नरेगा) द्वारा जारी जॉब कार्ड जो राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो।
6. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पते का विवरण हो (आधार और पैन अनिवार्य है और यह आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों के भाग नहीं है)

आधिकारिक तौर पर मान्य वैध दस्तावेज

पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए निम्न दस्तावेज आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज होंगे:

- i. कोई भी सेवा प्रदाता के उपभोक्ता बिल, जो दो महीने से ज्यादा पुराने ना हो (बिजली, टेलीफोन, पोस्टपैड, मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी बिल)
- ii. संपत्ति या नगर निगम कर रसीद (नवीनतम)।
- iii. सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किया गया पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जिसमें उनके पते शामिल हो।
- iv. राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या निगम निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता से आवास आवंटन का पत्र और आधिकारिक आवास आवंटन करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ अबकाश एवं लाइसेंस करार।

लाभार्थी स्वामी कौन है।

धन शोधन निवारण संशोधित अधिनियम 2013 के नियम 9(3) के अनुसार लाभार्थी स्वामी का निर्धारण निम्नानुसार किया गया हो:-

क. जहाँ ग्राहक कोई कंपनी है, लाभार्थी स्वामी वह वास्तविक व्यक्ति है, जो चाहे अकेले या संयुक्त रूप से अथवा एक या अधिक विधिक व्यक्ति के माध्यम से नियंत्रण रखता है, जिसके पास नियंत्रण स्वामित्व हित है या जो अन्य माध्यमों के जरिए नियंत्रण करता है।

इस उपखंड के लिए स्पष्टीकरण -

- i. 'नियंत्रण स्वामित्व हित' का अर्थ कंपनी के शेयर या पूंजी या लाभ के 10% से अधिक के स्वामित्व या पात्रता से है।
 - ii. 'नियंत्रण' में अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति करने का या प्रबंधन पर नियंत्रण करने का या नीतिगत निर्णयों के नियंत्रण का अधिकार शामिल है जो उनके शेयर धारिता या प्रबंधन अधिकार या शेरधारक करार या मताधिकार करार के आधार पर प्राप्त है।
- ख. जहाँ ग्राहक भागीदारी संस्था है, लाभार्थी स्वामी वह वास्तविक व्यक्ति है (हैं) जो अकेले या संयुक्त रूप में अथवा एक या अधिक विधिक व्यक्ति के जरिए भागीदारी की पूंजी या लाभ के 10% के स्वामी या हकदार है। या जो अन्य माध्यम से नियंत्रण करता है। स्पष्टीकरण: इस क्लॉज के उद्देश्य हेतु 'नियंत्रण' में प्रबंधन या नीति संबंधी निर्णय का नियंत्रण करने का अधिकार शामिल होगा।

ग. जहाँ ग्राहक अनिगमित संगठन या व्यक्तियों का निकाय है, लाभार्थी स्वामी वह वास्तविक व्यक्ति है, जो अकेले या संयुक्त रूप से अथवा एक या अधिक विधिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संगठन या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति पूंजी या लाभ के 15% से अधिक का स्वामित्व या पात्रता है;

स्पष्टीकरण: 'व्यक्तियों के निकाय' शब्द में समितियां भी शामिल है, जहाँ उपर्युक्त (क) (ख) और (ग) के अनुसार वास्तविक व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है वहाँ लाभार्थी स्वामी का आशय उस संबंधित वास्तविक व्यक्ति से है जो कि वरिष्ठ प्रबंधन पद पर कार्यरत है।

घ. जहाँ ग्राहक न्यास है, तो लाभार्थी स्वामी की पहचान के अंतर्गत न्यास के व्यवस्थापक, न्यासी, न्यास में 10% या उससे अधिक के हित रखने वाले लाभार्थी और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर मूलभूत प्रभावकारी नियंत्रण रखने वाले वास्तविक व्यक्ति की पहचान शामिल है।

ङ. जहाँ नियंत्रण हित का ग्राहक या स्वामी, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी या उसकी सहयोगी कंपनी है, तो ऐसी कंपनियों के किसी शेयरधारक या लाभार्थी स्वामी की पहचान एवं उस पहचान के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।

यहाँ से काट दें....(कृपया सुनिश्चित करें कि काटते समय उपयुक्त मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले कोड को क्षति न पहुंचे)

पावती

1. नाम : _____ दिनांक : _____

2. जमा किए गए दस्तावेज (I) _____

(II) _____ (III) _____

(IV) _____ (V) _____

शाखा प्रबंधक

SI No	Type of Entity	KYC Documents
7	Unincorporated association or body of individuals	<p>Certified copies of each of the following documents or the equivalent edocument thereof shall be obtained:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Resolution of the managing body of such association or body of individuals; (ii) Permanent account number or Form No.60 of the unincorporated association or a body of individuals; (iii) Power of attorney granted to transact on its behalf; (iv) Documents, as specified in Section 2, relating to beneficial owner, the managers, officers or employees, as the case may be, holding an attorney to transact on its behalf and such information as may be required by the Bank to collectively establish the legal existence of such an association or body of individuals. Explanation: Unregistered trusts / partnership firms shall be included under the term 'unincorporated association'. Explanation: Term 'body of individuals' includes societies (v) Permanent Account Number or Form60 issued to the person holding POA on its behalf (vi) Such information as may be required by the bank to collectively establish the legal existence of such an association or body of individuals. (vii) In case of Political parties along with above mentioned document these 4 other documents will also be attached: <ul style="list-style-type: none"> a. Certificate from the Election Commission confirming that "the political party is registered under section 29A of Representation of people Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last general election to the House of the People or the Legislative Assembly, as the case may be". b. Memorandum or Rules and regulations of the political party. c. Photograph of the person who has been Authorized to transact the account, i.e. to whom Power of Attorney is granted. d. Documents in respect of proof of address of the political party
8	Executors, Administrators and Liquidators	<p>Proof of Identity for Executors, Administrators and Liquidators</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Probate or letter of administration or authority under the Companies Act dated _____ obtained (for inspection. Entry in miscellaneous documents register and return). A copy of the same is retained <ul style="list-style-type: none"> I. In case more than one executors / administrators / liquidators are appointed, letter of authority signed by all of them regulating the conduct of the account, must be obtained. II. Executors /administrators / liquidators cannot normally delegate their powers to third parties. III. PAN of all Related persons or Beneficial owners, Separate Annexure II for each beneficial owner to be obtained <p>Proof of Residence for Tax purpose</p> <ul style="list-style-type: none"> IV. With respect to an entity, any official document issued by an authorised Government body, Including a Government agency or a municipality, which includes the name of the entity and either the address of its principal office in the country or territory in which it claims to be a resident or the country or territory in which the entity was incorporated or organised; V. TIN letter issued by the respective Government body/agency in case of entity resident in any country or territory outside India.
9	Govt. Authorities & Juridical Persons	<p>Societies, universities and local bodies like village panchayats, etc., or who purports to act on behalf of such juridical person or individual or trust, certified copies of the following documents or the equivalent edocuments there of shall be obtained and verified:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Document showing name of the person authorised to act on behalf of the entity; (ii) Documents, as specified in Section 2, of the person holding an attorney to transact on its behalf. (iii) Such documents as may be required by the Bank to establish the legal existence of such an entity/juridical person

Officially Valid Documents:

The list of OVDs consist only the following Five:

1. Passport
2. Driving licence
3. Proof of possession of Aadhaar Number : Where the customer submit his proof of position of Aadhaar Number as on OVD, he may submitted in such form as are issued by the Unique Identification Authority of India.
4. Voter's Identity Card issued by Election Commission of India
5. Job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government
6. Letter issued by the National Population Register containing details of name, address. (Aadhaar and PAN are MANDATORY and not part of OVDs)

Deemed Officially Valid Documents

The Following documents shall be deemed to be officially valid documents for the limited purpose of proof of address:

- (i) Utility bill which is not more than two months old of any service provider (electricity , Telephone , post-paid mobile phone , piped gas, water bill).
- (ii) Property or Municipal Tax Receipt (Latest)
- (iii) Pension or Family Pension Payment Orders (PPOs) issued to retired employees by Government Departments or Public Sector Undertakings, if they contain the address
- (iv) Letter of allotment of accommodation from employer issued by State Government or Central Government Departments, statutory or regulatory bodies, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks, Financial Institutions and Listed Companies and leave and license agreements with such employers allotting official accommodation.

WHO IS A BENEFICIAL OWNER :

The beneficial owner, as per Rule 9(3) of PML Amendment Rules 2013 is determined as under:

- (a) where the customer is a company, the beneficial owner is natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has/have a controlling ownership interest or who exercises control through other means.

Explanation.- For the purpose of this sub-clause-

 - i) "Controlling ownership interest " means ownership of or entitlement to more than 10% of shares or capital or profits of the company;
 - ii) "Control" shall include the right to appoint majority of directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements.
- (b) Where the customer is a partnership Firm, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting along or together, or through one or more juridical person, has/have ownership of / entitlement to more than in 10% of capital or profits of partnership; Or who exercise control through other means. Explanation: For the purpose of this clause, " control" shall include the right to control the management or policy decision.
- (c) Where the customer is an unincorporated association or body of individuals, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting along or together, or through one or more juridical person, has/have ownership of or entitlement to more than 15% of the property or capital or profits of such associations or body of individuals; Explanation: Term 'body of individuals' includes societies. Where no natural person is identified under (a), (b) or (c) above, the beneficial owner is the relevant natural person who holds the position of senior managing official.
- (d) Where the client is the trust, the identification of the beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with 10% or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership.
- (e) Where the client or the owner of the controlling interest is a company listed on a stock exchange or is a subsidiary of such a company, it is not necessary to identify and verify the identity of any shareholder or beneficial owner of such companies.

..... TEAR FROM HERE (Please make sure the above machine readable code is not damaged while tearing off)

ACKNOWLEDGEMENT

1. NAME: _____ DATE : _____

2. DOCUMENTS DEPOSITED (I) _____

(II) _____ (III) _____

(IV) _____ (V) _____

BRANCH MANAGER

हम आयकर नियम, 1962 के नियम 114 एफ से 114 एच के तहत अपनी इकाई की स्थिति को सीबीडीटी अधिसूचना संख्या SO2155 (E) दिनांक 7 अगस्त 2015 और आरबीआई परिपत्र सन्दर्भ सं. DBR.AML.BC.No.36/14.01.001/2015-16 दिनांक 28 अगस्त 2015 के माध्यम से निम्नवत अधिसूचित करते हैं।

वित्तीय संस्थान की स्थिति पर निशान लगायें		हाँ	नहीं		
इकाई का नाम					
1. ए)	निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) संस्थान				
बी)	संरक्षक संस्थान				
सी)	निवेश इकाई जो निष्क्रिय एनएफआई नहीं है				
डी)	निर्दिष्ट बीमा कंपनी				
2.	स्वामी- आधारभूत यूएस स्वामी(ओं) के साथ प्रलेखित वित्तीय संस्था (अनुबंध-II के अनुसार आधारभूत यूएस स्वामी का विवरण प्राप्त किया जाना है)				
3.	वित्तीय रिपोर्टिंग संस्थान				
4.	यदि उपर्युक्त 2 या 3 हाँ है, तो कृपया वैश्विक मध्यवर्ती पहचान संख्या (जीआईआईएन) प्रदान करें				
5.	गैर-भागीदारी वित्तीय संस्थान				
6.	गैर-रिपोर्टिंग वित्तीय इकाई (यदि हाँ, तो कृपया नीचे दी गई तालिका में किसी एक श्रेणी पर निशान लगाएं)				
क्रमांक	एनआरएफआई की श्रेणी	(√)	क्रमांक	एनआरएफआई की श्रेणी	(√)
1.	सरकारी इकाई;		13.	भविष्य निधि	
2.	अंतरराष्ट्रीय संगठन ;		14.	एक भारतीय निवेश इकाई जो पूरी तरह से एनआरएफआई द्वारा धारित है, उसे ऊपर (i) से (xiii) में संदर्भित किया गया है और जहां कोई ऋण ब्याज किसी डिपॉजिटरी संस्था या एनआरएफआई द्वारा रखा गया है, उसे ऊपर (i) से (xiii) में संदर्भित किया गया है।	
3.	केंद्रीय बैंक;		15.	पात्र क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता;	
4.	ट्रीटी क्वालिफाइड रिटायरमेंट फंड;		16.	सीबीडीटी नियमों के अनुसार निर्दिष्ट निवेश इकाई (नियम 114एफ(5)(एफ));	
5.	नैरो पार्टिसिपेशन रिटायरमेंट फंड;		17.	छूट प्राप्त सामूहिक निवेश वाहन;	
6.	ब्रॉड पार्टिसिपेशन रिटायरमेंट फंड;		18.	ट्रस्टी-डोकुमेंटेड इंडियन ट्रस्ट;	
7.	किसी सरकारी संस्था की पेंशन निधि;		19.	स्थानीय ग्राहक आधारित वित्तीय संस्थान;	
8.	अंतरराष्ट्रीय संगठन की पेंशन निधि;		20.	स्थानीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, (राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक सहित) बशर्ते कि संपत्ति नियम 114एफ (5) के स्पष्टीकरण (ओ) के दायरे में आती हो;	
9.	सेंट्रल बैंक की पेंशन निधि;		21.	केवल कम मूल्य खातों वाले वित्तीय संस्थान;	
10.	सशस्त्र बलों का गैर-सार्वजनिक निधि;		22.	प्रायोजित निवेश इकाई और नियंत्रित विदेशी निगम (यूएस रिपोर्ट करने योग्य खाते के मामले में);	
11.	कर्मचारी राज्य बीमा कोष;		23.	प्रायोजित सीमित धारिता वाली निवेश वाहन (किसी भी अमेरिकी रिपोर्ट योग्य खाते के मामले में)	
12.	ग्रेच्युटी फंड;		24.	एक भारतीय निवेश इकाई जो पूरी तरह से एनआरएफआई द्वारा धारित है, उसे ऊपर (I) से (xiii) में संदर्भित किया गया है और जहां कोई ऋण ब्याज किसी डिपॉजिटरी संस्था या एनआरएफआई द्वारा रखा गया है, उसे ऊपर (i) से (xiii) में संदर्भित किया गया है।	
7.	प्रायोजित निवेश इकाई				
ए)	प्रायोजित इकाई का जीआईआईएन				

हम प्रमाणित करते हैं कि सीबीडीटी नियमों/आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार हम वित्तीय संस्थान की ओर से हस्ताक्षर करने के पात्र हैं।

तारीख:

स्थान: _____

हस्ताक्षर
इकाई के अधिकृत व्यक्ति का नाम

We declare and certify our entity status under Rules 114F to 114H of the Income tax Rules, 1962 notified vide CBDT Notification No. S.O. 2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No. DBR.AML.BC.No.36/14.01.001/2015-16 dated 28 August 2015, as under:

Tick status of Financial Institution		Yes	No		
Name of Entity					
1.	a) Depository Institution				
	b) Custodial Institution				
	c) Investment Entity which is not a passive NFE				
	d) Specified Insurance Company				
2.	Owner-Documented FI with substantial US owner(s) – details of substantial US Owner to be captured as per Annexure-II				
3.	Reporting Financial Institution				
4.	If 2 OR 3 above is yes, please provide Global Intermediary Identification Number (GIIN)				
5.	Non-Participating Financial Institution				
6.	Non-Reporting Financial Entity (If Yes , Please Tick one of the category in the Table below)				
S No.	Category of NRFI	(✓)	S No.	Category of NRFI	(✓)
1.	Governmental Entity;		13.	Provident fund	
2.	International Organisation;		14.	An Indian investment entity which is wholly held by NRFIs referred to in (i) to (xiii) above and where any debt interest is held by a depository institution or NRFIs referred to in (i) to (xiii) above	
3.	Central Bank;		15.	Qualified credit card issuer;	
4.	Treaty Qualified Retirement Fund;		16.	Specified Investment entity as per CBDT rules (Rule 114F(5)(f));	
5.	Narrow Participation Retirement Fund;		17.	Exempt collective investment vehicle;	
6.	Broad Participation Retirement Fund;		18.	Trustee-documented Indian Trust;	
7.	Pension Fund of a Governmental Entity;		19.	Financial Institution with a local client base;	
8.	Pension Fund of an International Organisation;		20.	Local Bank (including Regional Rural Bank, Urban Cooperative Banks, State Cooperative Banks / District Central Cooperative Banks, Local Area Banks provided that the assets test as in Explanation (O) to Rule 114F(5);	
9.	Pension Fund of a Central Bank;		21.	Financial Institution with only low-value accounts;	
10.	Non-public fund of the armed forces;		22.	Sponsored investment entity and controlled foreign corporation (in case of any U.S. reportable account);	
11.	Employees' state insurance fund;		23.	Sponsored closely held investment vehicle (in case of any U.S. reportable account)	
12.	Gratuity Fund;		24.	An Indian investment entity which is wholly held by NRFIs referred to in (i) to (xiii) above and where any debt interest is held by a depository institution or NRFIs referred to in (i) to (xiii) above	
7.	Sponsored Investment Entity				
a)	GIIN of Sponsored entity				

We certify that we have the capacity to sign for the Financial Institution as per CBDT rules/RBI guidelines.

Date:

Place: _____

SIGNATURE(S)
NAME OF THE AUTHORIZED PERSON OF ENTITY

(प्रत्येक नियंत्रणकर्ता व्यक्ति/संबंधित व्यक्ति/लाभकारी स्वामी के लिए अलग-अलग फॉर्म भरा जाए)

केवल कार्यालय उपयोग हेतु आवेदन का प्रकार* <input type="checkbox"/> नया <input type="checkbox"/> अद्यतन आवेदक (सीपी/आरपी) सीआईएफ नं.: <input type="text"/> सीपी/आरपी खाता सं.: <input type="text"/>	शाखा को नाम और कोड नंबर वाली रबर की मुहर लगानी होगी	नियंत्रणकर्ता व्यक्ति/ संबंधित व्यक्ति/ लाभार्थी स्वामी की फोटो
संस्था का नाम: <input type="text"/> संस्था की खाता सं.: <input type="text"/>		

1. नियंत्रणकर्ता व्यक्ति/संबंधित व्यक्ति/लाभार्थी स्वामी का विवरण* (कृपया सामान्य अनुदेश को देखें):

1. क नियंत्रणकर्ता व्यक्ति का विवरण (पैसिव एनएफई के लिए):

नियंत्रणकर्ता व्यक्ति को जोड़ना नियंत्रणकर्ता व्यक्ति को हटाना नियंत्रणकर्ता व्यक्ति का विवरण अद्यतन करना

सीकेवाईसी सं (यदि उपलब्ध हो*): (यदि सीकेवाईसी नंबर उपलब्ध है, तो केवल 'नियंत्रण का प्रकार' और 'नाम' अनिवार्य है)

नियंत्रण का प्रकार*:

विधिक व्यक्ति के मामले में: स्वामित्व अन्य प्रकार वरिष्ठ पदधारी लाभार्थी अन्य

न्यास के मामले में: व्यवस्थापनकर्ता न्यासी संरक्षक लाभार्थी -समतुल्य अन्य- समतुल्य

अन्य विधिक व्यवस्था के मामले में: व्यवस्थापनकर्ता -समतुल्य न्यासी -समतुल्य संरक्षक-समतुल्य अपरिचित व्यक्ति के मामले में

1. ख संबंधित व्यक्ति का विवरण

संबंधित व्यक्ति को जोड़ना संबंधित व्यक्ति को हटाना संबंधित व्यक्ति का विवरण अद्यतन करना

संबंधित व्यक्ति की सीकेवाईसी सं (यदि उपलब्ध हो*): (यदि सीकेवाईसी नंबर उपलब्ध है, तो केवल 'संबंधित व्यक्ति प्रकार' और 'नाम' अनिवार्य है)

संबंधित व्यक्ति का प्रकार*:

यथा लागू होने पर एक से अधिक बैंक्स: पर टिक किया जा सकता है निदेशक प्रवर्तक कर्ता न्यासी भागीदार अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी लाभार्थी लाभार्थी स्वामी (पृष्ठ सं.10 परिभाषा देखें) अन्य

2. व्यक्तिगत विवरण* (कृपया अंत में दिए गए अनुदेश जी II देखें)

उ प प द प्र थ म ना म म ध्य ना म अं ति म ना म

नाम (आईडी प्रमाण के समान)*:

नाम* पिता का माता का जीवनसाथी का (तीन में से एक अनिवार्य है, पैर उपलब्ध नहीं होने पर पिता का नाम अनिवार्य है)

डीआईएन (निदेशक पहचान सं.): (यदि संबंधित व्यक्ति का प्रकार निदेशक है तो अनिवार्य है)

जन्म तिथि *:

लिंग: एम-पुरुष एफ-महिला तृतीय लिंग

वैवाहिक स्थिति*: विवाहित एकल अन्य राष्ट्रीयता*: आईएन- भारतीय अन्य देश कोड (आईएसओ 3166)

आवासीय स्थिति*: व्यक्तिगत निवास गैर निवासी भारतीय विदेश राष्ट्रिक भारतीय मूल का व्यक्ति

नागरिक*: भारतीय अन्य

पेशे का प्रकार*:

एस-सेवा (सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र)

O- अन्य (पेशेवर स्व-नियोजित सेवानिवृत्त गृहणी विद्यार्थी)

बी- व्यवसाय गैर-वर्गीकृत

वार्षिक आय*:

राजनितिक रूप से जोखिम वाले व्यक्ति: हाँ नहीं

कर निवासी का देश कोड*: (भारत के लिए कोड "आईएन" है)

पीईपी की परिभाषा: राजनितिक रूप से जोखिम वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी दूसरे देश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य का दायित्व सौंपा गया है जैसे राज्यों/सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी/न्यायिक/सैनिक अधिकारी, राज्य स्वाधिकृत निगमों के वरिष्ठ कार्यपालक, महत्वपूर्ण राजनितिक पार्टी के पदाधिकारी, आदि।

केवल भारत में कर निवासी का देश हो और किसी और देश या भारत के बाहर के केंद्रशासित का न हो* हाँ नहीं (यदि नहीं, है तो कृपया कॉलम 6 एवं 7 में विवरण भरें)

विकलांग व्यक्ति हाँ नहीं यदि हाँ (कृपया फॉर्म संख्या PNB 1391 पर विवरण प्रदान करें, विकलांग व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है)

पैन/ कर पहचान सं. या समकक्ष*:

(यदि 'कर उद्देश्य' के लिए निवासी का अधिकारक्षेत्र केवल भारत है, तो इस स्थान पर पैन भरें)

जन्मस्थान/ शहर:

जन्म का देश कोड:
(आईएसओ 3166)

3. पहचान/पते का प्रमाण (कृपया उचित बॉक्स को टिक करें (कोई एक आईडी का प्रकार) और विवरण भरें)*

 ए-पासपोर्ट बी- वोटर आईडी कार्ड सी- ड्राइविंग लाइसेंस डी- नरेगा जॉब कार्ड ई- नाम एवं पते के विवरण सहित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र आधार सं. होने का प्रमाण

दस्तावेज सं./ पहचान संख्या*

जारी तिथि:

समाप्ति की तिथि:

निम्न द्वारा जारी*:

जारी स्थान*:

पंक्ति 1*:

पंक्ति 2*:

शहर/ नगर/ग्राम*:

जिला*:

पिन/ पोस्ट कोड*:

राज्य/ यूटी नाम का कोड*:

देश का कोड*:
(आईएसओ 3166)

4. यदि दिए गए पते के प्रमाण/ओवीडी में वर्तमान पता उपलब्ध नहीं है, तो ओवीडी (आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज) के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध कराएं

 1. यूटिलिटी बिल 2. पीपीओ/ एफपीपीओ 3. संपत्ति/ नगर निगम कर रसीद 4. नियोजित द्वारा जारी/ राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा जारी आवास आबंधन पत्र। इसी तरह ऐसे नियोजित के साथ अनुमति एवं अनुज्ञप्ति करार जो आधिकारिक आवास आबंधित करते हैं। 5. स्व-घोषणा (केवल तभी लागू है, यदि ग्राहक ने ई-केवाईसी (आधार प्रमाणीकरण) किया है और आधार में जो पता दिया गया है वह वर्तमान पता के समान नहीं है)

मैं/हम खाता खोलने के तीन महीने के भीतर, अद्यतित वर्तमान पते के साथ आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) जमा कर दूंगा/दूंगी/ देंगे, ऐसा न करने पर बैंक खाते में परिचालन को अवरुद्ध कर सकता है। (ग्राहक द्वारा स्वघोषणा दिए जाने पर लागू नहीं) (उपर्युक्त बिंदु सं. 5 के अनुसार)

दस्तावेज सं./ पहचान संख्या*

जारी तिथि:

समाप्ति की तिथि:

निम्न द्वारा जारी*:

जारी स्थान*:

पंक्ति 1*:

पंक्ति 2*:

शहर/ नगर/ग्राम*:

जिला*:

पिन/ पोस्ट कोड*:

राज्य/ यूटी नाम का कोड*:

देश का कोड*:
(आईएसओ 3166)

5. संपर्क विवरण (सभी पत्राचार मोबाइल सं./ई-मेल आईडी पर भेजी जाएंगी) (कृपया अंत में दिए गए अनुदेश 'च' देखें)

टेलिफोन (कार्या.):

टेलिफोन (निवास):

फैक्स:

मोबाइल 1:

मोबाइल 2:

ई-मेल आई डी 1:

ई-मेल आई डी 2:

6. विविध कर निवास: कर निवासी के देश का विवरण (भारत के अलावा) यूएस और/या किसी अन्य देश में या भारत के बाहर क्षेत्र में निम्नानुसार हैं:

कर निवास का देश#	कर पहचान संख्या या अधिकारक्षेत्र द्वारा जारी उसका समकक्ष	पहचान का प्रकार (टीआईएन या अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें)

यदि कर निवासी का देश भारत है, तो पैन ही टिन है।

- यूएस में जन्में लेकिन दूसरे देश में निवास करने वाले व्यक्ति (जिसने यूएस की नागरिकता नहीं छोड़ी है) सहित यूएस का नागरिक
- यूएस ग्रीन कार्ड धारक सहित यूएस में निवास करने वाला व्यक्ति
- ऐसे व्यक्ति जो प्रत्येक वर्ष यूएस में 180 दिनों से अधिक का समय व्यतीत करते हैं।

7. अधिकारक्षेत्र के बाहर/देश का पता -जहाँ आवेदक कर उद्देश्य हेतु भारत के बाहर का निवासी है

पते का प्रकार*

 आवासीय/कारोबार आवासीय कारोबार पंजीकृत कार्यालय अनिर्दिष्ट

पंक्ति*1:

पंक्ति*2:

पंक्ति*3:

शहर/नगर/गांव*:

जिला*:

पिन/पोस्ट कोड*:

राज्य/ यूटी नाम का कोड*:

देश कोड*

(आईएसओ 3166)

PAN / TAX IDENTIFICATION NUMBER OR EQUIVALENT* :

(IF JURISDICTION OF RESIDENCE FOR 'TAX PURPOSE' IS INDIA ONLY, THE PAN IN THIS FIELD)

PLACE / CITY OF BIRTH :

COUNTRY CODE OF BIRTH :
(ISO 3166)

3. PROOF OF IDENTITY/ADDRESS (PLEASE TICK THE APPROPRIATE BOX (ANY ONE ID TYPE) AND GIVE DETAILS)*

- A- PASSPORT B- VOTER ID CARD C- DRIVING LICENCE D- NREGA JOB CARD
- E- LETTER ISSUED BY NATIONAL POPULATION REGISTER CONTAINING DETAILS OF NAME AND ADDRESS PROOF OF POSSESSION OF AADHAAR NO.

DOCUMENT NO. / IDENTIFICATION NUMBER* Issued Date: Date of Expiry:

ISSUED BY*: ISSUED AT*:

LINE 1*:

LINE 2: CITY / TOWN / VILLAGE*:

DISTRICT*: PIN / POST CODE*:

STATE / UT NAME CODE*: COUNTRY CODE*:
(ISO 3166)

4. IF THE PROOF OF ADDRESS/OVD PROVIDED DOES NOT CONTAIN CURRENT ADDRESS, PLEASE PROVIDE ANY OF THE DOCUMENTS BELOW AS OVD (OFFICIALLY VALID DOCUMENT)

1. UTILITY BILL 2. PPO/FPPO 3. PROPERTY OR MUNICIPAL TAX RECEIPT
4. LETTER OF ALLOTMENT OF ACCOMMODATION ISSUED BY EMPLOYER/ISSUED BY STATE OR CENTRAL GOVERNMENT DEPARTMENTS, STATUTORY OR REGULATORY BODIES, PUBLIC SECTOR UNDERTAKING SCHEDULED COMMERCIAL BANKS, FINANCIAL INSTITUTIONS AND LISTED COMPANIES. SIMILARLY, LEASE AND LICENSE AGREEMENTS WITH SUCH EMPLOYERS ALLOTING OFFICIAL ACCOMMODATION."
5. SELF-DECLARATION (APPLICABLE ONLY WHEN CUSTOMER HAS CARRIED OUT E-KYC (AADHAAR AUTHENTICATION) AND ADDRESS IN AADHAAR IS NOT SAME AS CURRENT ADDRESS

I/WE SHALL SUBMIT OVD WITH UPDATED CURRENT ADDRESS WITHIN A PERIOD OF THREE MONTHS, FAILING WHICH BANK MAY RESTRICT THE OPERATIONS IN THE ACCOUNT (NOT APPLICABLE WHEN SELF DECLARATION IS PROVIDED BY THE CUSTOMER) (AS PER POINT NO. 5 ABOVE)

DOCUMENT NO. / IDENTIFICATION NUMBER* Issued Date: Date of Expiry:

ISSUED BY*: ISSUED AT*:

LINE 1*:

LINE 2: CITY / TOWN / VILLAGE*:

DISTRICT*: PIN / POST CODE*:

STATE / UT NAME CODE*: COUNTRY CODE*:
(ISO 3166)

5. CONTACT DETAILS (All communications will be sent on provided Mobile no./ Email- ID) (Please refer Instruction 'F' at the end)

TEL. (OFF): TEL. (RES):

FAX:

MOBILE 1: MOBILE 2:

EMAIL ID 1:

EMAIL ID 2:

6. MULTIPLE TAX RESIDENCY: Details of Country of Tax Residence (In addition to India) in US and/or in any other Country or Territory Outside India as Under:

COUNTRY OF TAX RESIDENCE#	TAX IDENTIFICATION NUMBER OR EQUIVALENT, IF ISSUED BY JURISDICTION	IDENTIFICATION TYPE (TIN OR OTHER, PLEASE SPECIFY)

In case, country of tax residence is India, PAN is treated as TIN.

1. A citizen of US including individual born in US but resident in another country (who has not given up US citizenship).
2. A person residing in US including US green card holder.
3. Certain persons who spend more than 180 days in US each year.

7. ADDRESS IN OUTSIDE JURISDICTION/COUNTRY - WHERE THE APPLICANT IS RESIDENT OUTSIDE INDIA FOR TAX PURPOSES

ADDRESS TYPE*: RESIDENTIAL / BUSINESS RESIDENTIAL BUSINESS REGISTERED OFFICE UNSPECIFIED

LINE 1*:

LINE 2:

LINE 3: CITY / TOWN / VILLAGE*:

DISTRICT*: PIN / POST CODE*:

STATE / UT NAME CODE*: COUNTRY CODE*:
(ISO 3166)

नाम :

(पहचान प्रमाण के अनुसार)

यदि पैन के लिए आवेदन किया हुआ है और जारी नहीं किया गया है, तो आवेदन की तिथि तथा पावती संख्या

यदि पैन के लिए आवेदन नहीं किया है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार उस वित्त वर्ष जिसमें उपर्युक्त लेन-देन किया गया है, को अनुमानित कुल आय भरें (पति,पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय सहित)

कृषि आय (रु. में) कृषि आय के अलावा अन्य आय **सत्यापन**

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/ती हूँ कि उपर्युक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं आगे यह घोषणा करता/ती हूँ कि मेरे पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और जिस वित्तीय वर्ष में उक्त लेनदेन किया गया है, उसमें मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय (पति,पत्नी, अवयस्क संतान आदि की आय सहित) आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप आयकर अधिनियम की धारा 64 के अनुसार गणना कर योग्य अधिकतम राशि से कम ही होगी।

वर्ष _____ के _____ माह के _____ दिन को सत्यापित

स्थान :

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

9. आवेदक की घोषणा

- मैं/ हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/ करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और इसमें परिवर्तन होने पर मैं आपको सूचित करने का वचन देता हूँ/देती। यदि कोई जानकारी गलत या झूठी या भ्रामक या मिथ्या प्रस्तुत की जाती है तो मैं हम उसके लिए जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।
- मेरा/मेरी/हमारे व्यक्तिगत केवाईसी संबंधित विवरण केन्द्रीय सीकेवाईसी रजिस्ट्री के साथ साझा कर सकती हूँ।
- मैं/हम एतद्वारा केन्द्रीय सीकेवाईसी रजिस्ट्री से अपने केवाईसी रिकॉर्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी सहमति केवल सीकेवाईसीआर रजिस्ट्री के डेटाबेस से मेरी पहचान और पते के सत्यापन के उद्देश्य के लिए देता/देती/देते हूँ/हैं। मैं समझता/समझती हूँ कि मेरे केवाईसी रिकॉर्ड में मेरा केवाईसी रिकॉर्ड/व्यक्तिगत जानकारी जैसे मेरा नाम/पता, जन्मतिथि, पैन नंबर आदि शामिल है।
- मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/ती हूँ कि मैंने अपनी स्थिति, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ.2155(ई) दिनांक:7 अगस्त 2015 द्वारा अधिसूचित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 285बीए के तहत लागू नियमों तथा इस विषय में आरबीआई परिपत्र सन्दर्भ सं.डीबीआर.एमएल.बीसी.सं.36/14.01.001/2015-16 दिनांक 28 अगस्त 2015 तथा इसके अनुवर्ती आशोधन/संशोधनों, के अनुसार घोषित की है।
- मैं समझता, स्वीकार तथा अधिकृत करता/ती हूँ कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों, इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों तथा इस संबंध में सरकार/आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, आवासीय स्थिति और/या उसमें दिए गए अन्य मानदंडों के आधार पर, बैंक द्वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को (सीबीडीटी) या अन्य सरकारी एजेंसियों को विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के संबंध में अंतर-सरकारी समझौतों (आईजीए) के अनुसार दायित्वों का पालन करने के लिए और सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) और/या अन्य समान व्यवस्थाओं के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार मेरे खाते (खातों) के संबंध में विवरण दिया जा सकता है।
- मैं/हम यह प्रमाणित और घोषित करता/ती हूँ कि मेरे द्वारा खाता खोलने के लिए तथा इसके अंतर्गत या वेबसाइट/इलेक्ट्रॉनिक रूप से अन्य सेवा प्राप्त करने के लिए, जो मुझे पर लागू हो, का लाभ उठाने के लिए, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित/प्रमाणित रूप में उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी साक्ष्य, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं, मैंने/हमने ऐसी किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया नहीं है जो मेरे खाते के मूल्यांकन/वर्गीकरण को यू.एस. रिपोर्टिंग खाते या अन्य रिपोर्टिंग योग्य खाते के रूप में या अन्यथा प्रभावित कर सकती है। यदि किसी भी मामले में मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी या विवरण गलत या असत्य या भ्रामक या मिथ्या पाए जाते हैं, तो मुझे/हमें पता है कि मुझे/हमें इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- यहां दी गई जानकारी में/या अन्यथा, कोई भी परिवर्तन होने पर, साथ ही मेरे द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य में हो सकता है या यदि कोई प्रमाणीकरण गलत हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है, तो मैं, तुरंत और किसी भी स्थिति में परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसे घोषित तथा प्रकट करने की जिम्मेदारी लेता/ती हूँ। इसके साथ ही, मैं आवश्यकता पड़ने पर, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ नवीनतम और वैध स्व-प्रमाणन प्रदान करने का वचन देता/ती हूँ, हालांकि, यहाँ की गई सभी घोषणाएँ और वचन मेरे द्वारा दिए गए ऐसे सभी आशोधित/संशोधित दस्तावेजों/सूचनाओं पर लागू होंगे जब तक उपरोक्तानुसार संशोधित स्व-प्रमाणन बैंक को प्रदान नहीं किए जाते।
- मैं/हम यह भी मानता/ती/मानते हूँ/हैं कि मेरी जानकारी में अभी या भविष्य में किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी का खुलासा करने में मेरी असफलता या दस्तावेजों/सूचना/अन्य विवरणों में किसी भी कमी को निर्धारित अवधि में दूर करने में मेरी असफलता, मुझे खाते में लेन-देन करने हेतु अमान्य घोषित कर सकती है और बैंक को मेरे खाते के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने या इसे बंद करने या किसी भी विनियामक और/या भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किसी भी प्राधिकरण को रिपोर्ट करने का अधिकार होगा, या बैंक सीबीडीटी/आरबीआई/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के तहत जैसा भी उचित होगा, कोई अन्य कार्यवाही कर सकता है।
- मैं/हम, भारत या विदेश में खाते के परिचालन या रखरखाव से संबंधित किसी भी कानून में किसी भी बदलाव के कारण मुझसे/हमसे मांगी जाने वाली किसी अन्य जानकारी बैंक को प्रस्तुत और सूचित करने के लिए भी सहमत हूँ/हैं।
- मैं/हम प्रमाणित करता/करती/करते हूँ/हैं कि मेरे/हमारे पास सीबीडीटी नियमों/आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार उक्त संस्था हेतु हस्ताक्षर करने की क्षमता है।
- मैं बैंक को किसी भी प्रकार की हानि/क्षति की क्षतिपूर्ति करूँगा/गी, जो बैंक को मेरे द्वारा प्रदान किए गए विवरणों में किसी भी त्रुटि/गलती के कारण या मिथ्या या अपूर्ण सूचना प्रदान करने के कारण हो सकती है।

स्थान:

तिथि: _____

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम**प्रमाणन /केवल कार्यालय के उपयोग हेतु**प्राप्त दस्तावेज: स्वतः प्रमाणित सत्यापित प्रतियाँ नोटरीजोखिम श्रेणी: उच्च मध्यम निम्न पहचान के सत्यापन द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन किया गया: किया गयातिथि:

कर्मचारी/अधिकारी का हस्ताक्षर _____ कर्मचारी/अधिकारी का नाम _____

जीबीपीए नंबर/पीएफ नं. _____ कर्मचारी/अधिकारी का पदनाम: _____ कर्मचारी/अधिकारी की शाखा: _____

NAME: [Grid]

(SAME AS ID PROOF)

IF APPLIED FOR PAN AND IT IS NOT YET GENERATED, ENTER DATE OF APPLICATION [Grid] & THE ACKNOWLEDGEMENT NUMBER [Grid]

IF PAN IS NOT APPLIED, FILL ESTIMATED TOTAL INCOME (INCLUDING INCOME OF SPOUSE, MINOR CHILD, ETC) AS PER SECTION 64 OF INCOME TAX ACT 1961 FOR FINANCIAL YEAR IN WHICH THE ABOVE TRANSACTION IS HELD

AGRICULTURE INCOME (RS) [Grid] OTHER THAN AGRICULTURAL INCOME [Grid]

VERIFICATION

I do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief. I further declare I do not have a permanent account number and my/our estimated total income (including income of spouse, minor child, etc.) as per section 64 of Income Tax Act 1961 computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 for the financial year in which the above transaction is held will be less than maximum amount not

Verified today, the day of 20.....

Place:

Signature of the Declarant

9. APPLICANT DECLARATION

- I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it.
- My/Our personal KYC details may be shared with Central KYC Registry.
- I/We hereby, give my consent to download my KYC Records from the Central KYC Registry (CKYCR), only for the purpose of verification of my identity and address from the database of CKYCR Registry. I understand that my KYC record include my KYC record/personal information such as my name/address, date of birth, PAN no. etc.
- I/We hereby certify that I/We have declared my status as per the rules applicable under section 285BA of the Income Tax Act, 1961 as notified by Central Board of Direct Taxes (CBDT) vide Notification No. S.O. 2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No.DBR.AML.BC.No.36/ 14.01.001/2015-16 dated 28 August 2015 in the matter including any subsequent modification/amendment thereof.
- I/We understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of Income Tax Act, Rules made thereunder and the guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my/our account(s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the Inter- Governmental Agreements (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) and / or any other similar arrangements.
- I/We certify & declare that the information provided by me/us for opening account and availing other services herein or through website/electronically as applicable to me/us and signed/authenticated by me/us as well as in the documentary evidence provided by me/us for opening account and availing other services are, to the best of my/our knowledge and belief, true, correct and complete and that I/We have not withheld any material information that may affect the assessment/categorization of my/our account as a U.S. Reportable Account or Other Reportable Account or otherwise. In case any of the information or details provided by me/us is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/We am/are aware that I/We may be held liable for it.
- I/We undertake the responsibility to declare and disclose immediately and in no case beyond 30 days from the date of change, any changes that may take place in the information provided herein/ or otherwise, as well as in the documentary evidence provided by me or if any certification becomes incorrect or undergoes a change. I further undertake to provide fresh and valid self-certification along with documentary evidence as and when so required; nevertheless all declaration and undertaking given herein will also be applicable to all such modified/amended documents/information provided by me unless revised self certification as above is provided to the Bank.
- I/We also agree that my/our failure to disclose any material fact/information known to me/us now or in future or my/our failure to remedy any deficiency in documents/ information/other details within the stipulated period, may invalidate me/us from transacting in the account and the Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or to close it or to report to any regulator and/or any authority designated by the Government of India (GoI)/RBI for the said purpose or take any other action as may be deemed appropriate by the Bank under the guidelines issued by CBDT/RBI/GoI from time to time
- I/We also agree to furnish and intimate to the Bank any other particulars that are called upon me/us to provide on account of any change in law either in India or abroad in relating to the operation or maintenance of the account.
- I/We certify that I/we have the capacity to sign for the entity as per the CBDT rules/RBI guidelines.
- I/We shall indemnify the Bank from any loss/damage that may be caused to the Bank on account of any defect/mistake in the details provided herein or on account of providing incorrect or incomplete information by me/us.

Signature(s)
Name of the Applicant

DATE: [Grid]

PLACE: _____

ATTESTATION / FOR OFFICE USE ONLY

DOCUMENTS RECEIVED: SELF-CERTIFIED TRUE COPIES NOTARY

RISK CATEGORY: HIGH MEDIUM LOW

IN PERSON VERIFICATION CARRIED OUT BY IDENTITY VERIFICATION: DONE

DATE: [Grid]

EMP./OFFICIAL SIGNATURE _____ EMP./OFF. NAME: _____

GBPA No./P.F No.: _____ EMP./OFF. DESIGNATION: _____ EMP./OFF. BRANCH: _____

अनुदेश: ** के साथ चिह्नित स्थान को भरना अनिवार्य है * कृपया फॉर्म को स्पष्ट अक्षरों में भरें

आवेदन का प्रकार* नया अद्यतन

सीकेवाईसी संख्या (वित्तीय संस्थान द्वारा भरा जाए):
(इकाई का सीकेवाईसी नं. अद्यतन अनुरोध हेतु अनिवार्य है):

पते का प्रमाण (पीओए):

पत्राचार/स्थानीय पते का विवरण* वर्तमान/स्थायी /विदेशी पते के विवरण के समान

पते का प्रकार* आवासीय/कारोबार आवासीय वयवसाय पंजीकृत कार्यालय अनिर्दिष्ट

पंक्ति* 1 :

पंक्ति* 2 :

पंक्ति* 3 : शहर/नगर/गांव* :

जिला* : देश का नाम

राज्य/ यूटी नाम का कोड* : पिन/पोस्ट कोड* :

संपर्क विवरण (सभी पत्राचार मोबाइल सं./ई-मेल आईडी पर भेजी जाएंगी) (कृपया अंत में दिए गए अनुदेश 'च' देखें)

टेलिफोन (कार्या.): टेलिफोन (निवास) :

मोबाइल : फैक्स :

ई-मेल आई डी :

आवेदक की घोषणा

- मैं/ हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/ करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और इसमें परिवर्तन होने पर मैं आपको सूचित करने का वचन देता/देती हूँ। यदि कोई जानकारी गलत या झूठी या भ्रामक या मिथ्या प्रस्तुत की जाती है तो मैं/ हम उसके लिए उत्तरदायी होंगा/ होंगे।
- मेरा/मेरी/हमारे व्यक्तिगत केवाईसी संबंधित विवरण केन्द्रीय सीकेवाईसी रजिस्ट्री के साथ साझा कर सकता/सकती हूँ।
- मैं/हम एतद्वारा उपर्युक्त पंजीकृत नंबर/ईमेल पते पर एसएमएस/ईमेल के माध्यम से केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से सूचना प्राप्त करने की सहमति देता/देती/देते हूँ/हैं।

स्थान:

तिथि:

हस्ताक्षर
इकाई के अधिकृत व्यक्ति का नाम

प्रमाणन /केवल कार्यालय के उपयोग हेतु

प्राप्त दस्तावेज: स्वतः प्रमाणित सत्यापित प्रतियाँ नोटरी **जोखिम श्रेणी:** उच्च मध्यम निम्न

पहचान के सत्यापन द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन किया गया: किया गया तिथि:

कर्मचारी/अधिकारी का हस्ताक्षर _____ कर्मचारी/अधिकारी का नाम _____

जीबीपीए नंबर/पीएफ नं. _____ कर्मचारी/अधिकारी का पदनाम: _____ कर्मचारी/अधिकारी की शाखा: _____

लाभार्थी स्वामित्व की घोषणा

(कंपनी पर लागू (स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी को छोड़कर या ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी के मामले में) साझेदारी फर्म, अनिगमित संगठन या व्यक्ति निकाय और ट्रस्ट)।

1. ग्राहक का नाम : _____
(कंपनी, साझेदारी फर्म, अनिगमित संगठन या व्यक्ति निकाय और ट्रस्ट)
2. पंजीकृत नं.: _____
(यदि उपलब्ध हो)
3. पंजीकृत पता: _____

जैसा कि ऊपर बताया गया है, आज की तारीख में ग्राहक इसकी पुष्टि करता है और घोषणा करता है कि:

निम्नलिखित वास्तविक व्यक्ति (नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध) नियंत्रण का प्रयोग करते हैं या अंततः उनके हित में नियंत्रण स्वामित्व होता है। स्वामित्व 10% से अधिक (कंपनी), 10% से अधिक (साझेदारी फर्म), 15% से अधिक (व्यक्तियों का अनिगमित संघ), 10% से अधिक या उसके बराबर (ट्रस्ट) पूंजी/लाभ/संपत्ति या नियंत्रण के माध्यम से मतदान अधिकार, करार, व्यवस्था, आदि (या आरबीआई/बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित)।

क्रम सं.	लाभार्थी स्वामी/नियंत्रणकर्ता वास्तविक व्यक्ति (यो) का पूरा नाम	जन्मतिथि	राष्ट्रीयता	पता	केवाईसी दस्तावेजों का प्रकार	नियंत्रणकर्ता स्वामित्व हित (%)

वरिष्ठ प्रबंधन/ समस्त भागीदार /ट्रस्टी आदि की सूची वाले संगत व्यक्ति की घोषणा

क्रम सं.	पूरा नाम	पद	जन्मतिथि	राष्ट्रीयता	पता

अधिक संगत व्यक्ति (वरिष्ठ प्रबंधन/ भागीदार /ट्रस्टी) के मामले में कृपया अलग शीट पर सूचना दें हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर बताए गए तथ्य सत्य और सही हैं। हम वचन देते हैं और सहमत हैं कि हम ऊपर की तालिका में दिए गए नियंत्रणकर्ता व्यक्ति, नियंत्रण करने वाले व्यक्ति या कंपनी, साझेदारी फर्म, अनिगमित संगठन या व्यक्तियों के निकाय और ट्रस्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर इसकी सूचना अविलंब **पंजाब नेशनल बैंक** को देंगे। (कंपनी, साझेदारी फर्म, अनिगमित संगठन या व्यक्ति निकाय और ट्रस्ट) के लिए और की ओर से:

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर* : _____ प्राधिकृत अधिकारी का पूरा नाम: _____

पदनाम/श्रेणी : _____ तिथि: _____ स्थान: _____

* (घोषणा साझेदारी फर्म के मामले में सक्रिय /नामित साझेदार, ट्रस्ट के मामले में ट्रस्टी द्वारा हस्ताक्षरित की जाए)

केवल शाखा के उपयोग हेतु

हम प्रमाणित करते हैं कि उक्त फर्म के लाभार्थी स्वामी (यो) का निर्धारण, उपर्युक्त कंपनी/फर्म/ट्रस्ट द्वारा की गई घोषणा के आधार पर किया गया है और ऊपर दिए गए विवरण का सत्यापन उस सार्वजनिक डोमेन की सूचना से किया गया है, जब कभी यह उपलब्ध है।

(शाखा प्रमुख/शाखा परिचालन प्रमुख के हस्ताक्षर)

नाम: _____ जीबीपीए नं./पीएफ नं.: _____ तिथि: _____

INSTRUCTIONS: • FIELDS MARKED WITH "*" ARE MANDATORY • PLEASE FILL THE FORM IN ENGLISH AND IN BLOCK LETTERS

APPLICATION TYPE*: NEW UPDATE

CKYC NUMBER (TO BE FILLED BY FINANCIAL INSTITUTION):
 (CKYC NUMBER OF ENTITY IS MANDATORY FOR UPDATE REQUEST)

PROOF OF ADDRESS (POA)

CORRESPONDENCE / LOCAL ADDRESS DETAILS* SAME AS CURRENT /PERMANENT/OVERSEAS ADDRESS DETAILS

ADDRESS TYPE*: RESIDENTIAL OR BUSINESS RESIDENTIAL BUSINESS REGISTERED OFFICE UNSPECIFIED

LINE 1*:

LINE 2*:

LINE 3*: CITY / TOWN NAME*:

DISTRICT*: COUNTRY NAME:

STATE / UT NAME*: PIN / POST CODE*:

CONTACT DETAILS (If communication has to be done on Mobile/email the following Mobile No/Email ID will be used)

TEL. (OFF): TEL. (RES):

MOBILE NO.: FAX:

EMAIL ID:

APPLICANT DECLARATION

- I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it.
- My/Our personal KYC details may be shared with Central KYC Registry.
- I/We hereby consent to receiving information from central KYC Registry through SMS/Email on the above registered number/email address

DATE:

PLACE: _____

SIGNATURE (S)
 NAME OF THE AUTHORIZED PERSON OF ENTITY

ATTESTATION / FOR OFFICE USE ONLY

DOCUMENTS RECEIVED: SELF-CERTIFIED TRUE COPIES NOTARY RISK CATEGORY: HIGH MEDIUM LOW

IN PERSON VERIFICATION CARRIED OUT BY IDENTITY VERIFICATION: DONE DATE:

EMP/OFFICIAL SIGNATURE _____ EMP/OFF. NAME: _____

GBPA No./P.F No.: _____ EMP/OFF. DESIGNATION: _____ EMP/OFF. BRANCH: _____

DECLARATION OF BENEFICIAL OWNERSHIP

(APPLICABLE TO COMPANY (EXCEPT THE COMPANY LISTED ON A STOCK EXCHANGE OR IN CASE OF A SUBSIDIARY OF SUCH A COMPANY), PARTNERSHIP FIRM, UNINCORPORATED ASSOCIATION OR BODY OF INDIVIDUALS AND TRUSTS).

- NAME OF THE CUSTOMER : _____
 (COMPANY, PARTNERSHIP FIRM, UNINCORPORATED ASSOCIATION ON BODY OF INDIVIDUALS AND TRUSTS)
- REGISTERED NUMBER : _____
 (IF AVAILABLE)
- REGISTERED ADDRESS: _____

THE CUSTOMER AS STATED ABOVE HEREBY CONFIRMS AND DECLARES THAT AS ON DATE:

THE FOLLOWING NATURAL PERSON(S) (LISTED IN TABLE BELOW) EXERCISE CONTROL OR ULTIMATELY HAVE A CONTROLLING OWNERSHIP INTEREST I.E. HAVING OWNERSHIP IS MORE THAN 10% (COMPANY), MORE THAN 10% (PARTNERSHIP FIRM), MORE THAN 15% (UNINCORPORATED ASSOCIATION OF INDIVIDUALS), MORE THAN OR EQUAL TO 10% (TRUST) OF CAPITAL/PROFITS/PROPERTY OR CONTROLLING TROUGH VOTING RIGHTS, AGREEMENT, ARRANGEMENT ETC. (OR AS REVISED FROM TIME TO TIME BY RBI/BANK)

SL NO.	FULL NAME OF BENEFICIAL OWNER / CONTROLLING NATURAL PERSON(S)	DATE OF BIRTH	NATIONALITY	ADDRESS	TYPE OF KYC DOCUMENTS	CONTROLLING OWNERSHIP INTEREST (%)

DECLARATION OF RELEVANT PERSON HOLDING SENIOR MANAGEMENT/ALL PARTNERS/LIST OF TRUSTEES ETC.

SL NO.	FULL NAME	DESIGNATION	DATE OF BIRTH	NATIONALITY	ADDRESS

IN CASE OF MORE RELEVANT PERSONS (HOLDING SENIOR MANAGEMENT/PARTNERS/TRUSTEES) PLEASE INFORM IN SEPARATE SHEET.

WE CERTIFY THAT THE FACTS STATED ABOVE ARE TRUE AND CORRECT. WE UNDERTAKE AND AGREE THAT WE WILL NOTIFY PUNJAB NATIONAL BANK WITHOUT DELAY OF ANY CHANGES IN THE CONTROLLING PERSONS, PERSON EXERCISING CONTROL OR HAVING CONTROLLING OWNERSHIP INTEREST IN THE COMPANY, PARTNERSHIP FIRM, UNINCORPORATED ASSOCIATION OR BODY OF INDIVIDUALS AND TRUSTS, AS DECLARED IN THE TABLE ABOVE.

FOR AND ON BEHALF OF [NAME OF COMPANY, PARTNERSHIP FIRM, UNINCORPORATED ASSOCIATION OR BODY OF INDIVIDUALS AND TRUSTS];

SIGNATURE OF THE AUTHORIZED OFFICIAL*: _____ FULL NAME OF THE AUTHORIZED OFFICIAL: _____

DESIGNATION / POSITION: _____ DATE: _____ PLACE: _____

(*The declaration should be signed by an active / designated partner in case of Partnership Firm, a trustee in case of Trust) _____

For Branch use Only

We certify that the beneficial owner (s) of the said firm has / have been determined on the basis of declaration made by the above mentioned Company / Firm / Trust and the details furnished above have been verified from information, whenever available, in public domain.

(Signature of the Branch Head / Branch Operation Head)

Name: _____ GBPA No./P.F No.: _____ Date: _____

वचनपत्र: बैंकिंग प्रणाली से ऋण सुविधा

अनुबंध - V

आवेदक का सीआईएफ नं:

तिथि:

ग्राहक आईडी:

खाते का नाम:

वचनपत्र: बैंकिंग प्रणाली से ऋण सुविधा

मैं/हम, बैंकिंग प्रणाली से निम्नानुसार यथा वर्णित ऋण सुविधा का लाभ ले रहा/रही हूँ / रहे हैं (निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन चालू खाता खोल सकता/सकती हूँ /सकते हैं)

क्रम सं.	ऋणदाता संस्थान (नों) का नाम	शाखा	शाखा (ईमेल एवं पिन नं. सहित) का पता	ऋण एक्सपोजर के प्रकार	राशि करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	धोषणा सह वचनपत्र
1.	<input type="checkbox"/> रु. 5.00 करोड़ से कम का कुल ऋण एक्सपोजर	मैं/हम यह वचन देता/देती/देते हूँ/हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा ली गई/लिए गए ऋण सुविधा (ओं) की राशि रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक हो जाती है, तो इसकी सूचना आपको तुरंत दूंगा। मैं/हम यह भी समझते हैं कि जब ऋण एक्सपोजर 5.00 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, तो मेरा/हमारा खाता पैरा 2 (i) और पैरा (ii) (ए) या (बी) जैसा भी मामला हो, द्वारा नियंत्रित होगा।
2.	<input type="checkbox"/> रु. 5.00 करोड़ या उससे अधिक का कुल ऋण एक्सपोजर (चाहे ग्राहक के पास सीसी-ओडी सुविधा हो) (i) <input type="checkbox"/> हाँ (कॉलम 3 में दी गई शर्तों के अधीन चालू खाता खोला जाए)	1. चालू खाता उन बैंकों में से किसी एक में खोला जा सकता है (उधारकर्ता के विकल्प पर) जिसके पास सीसी/ओडी सुविधा है, बशर्ते कि बैंक के पास उस उधारकर्ता के लिए बैंकिंग प्रणाली का कम से कम 10% एक्सपोजर हो। 2. अन्य ऋणदाता बैंक इस शर्त के अधीन केवल संग्रह खाता खोल सकते हैं कि ऐसे संग्रह खाते में जमा की गई धनराशि ऐसी धनराशि प्राप्त होने के दो कार्य दिवसों के भीतर, उधारकर्ता के चालू खाते को खोलें गए उपयुक्त बैंक के सीसी/ओडी खाते में प्रेषित कर दी जाएगी। 3. गैर-ऋणदाता बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के लिए कोई चालू खाता नहीं खोलेंगे । 4. यदि किसी भी ऋणदाता के पास उधारकर्ताओं के लिए बैंकिंग प्रणाली का कम से कम 10% एक्सपोजर नहीं है, तो सबसे अधिक एक्सपोजर वाला बैंक, चालू खाते खोल सकता है।
(ii)	<input type="checkbox"/> नहीं, यदि ग्राहक ने किसी भी बैंक से सीसी/ओडी की सुविधा का लाभ नहीं किया है, तो बैंक निम्नानुसार चालू खाता खोल सकते हैं:	क्या पीएनबी ऋणदाता है <input type="checkbox"/> नहीं (यदि नहीं है, तो चालू खाता नहीं खोला जा सकता है) <input type="checkbox"/> हाँ (निम्न शर्तों के अधीन चालू खाता खोला जा सकता है)
ए.	बैंकिंग प्रणाली से रु० 50 करोड़ या उससे अधिक के एक्सपोजर वाले उधारकर्ता	1. एक अनिवार्य एस्को तंत्र अपेक्षित है। 2. केवल एस्को प्रबंधन बैंक चालू खाता खोल सकेगा। 3. \$ \$ अन्य ऋणदाता इस शर्त के अधीन संग्रह खाते खोल सकते हैं कि इन संग्रह खातों से धनराशि बैंक और उधारकर्ता के बीच सहमत अंतराल पर उक्त एस्को खाते में प्रेषित की जाएगी। 4. जबकि संग्रह खातों में जमा राशि या संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इन खातों में डेबिट उक्त एस्को खाते में आय भेजने के उद्देश्य तक सीमित होंगे जाएंगी। 5. गैर-ऋणदाता बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के लिए कोई चालू खाता नहीं खोलेंगे।
बी.	बैंकिंग प्रणाली से रु० 5 करोड़ या उससे अधिक लेकिन रु. 50 करोड़ से कम के एक्सपोजर वाले उधारकर्ता	क्या पीएनबी ऋणदाता है <input type="checkbox"/> हाँ (ऋणदाता बैंक द्वारा चालू खाता खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है) <input type="checkbox"/> नहीं (गैर-ऋणदाता बैंक केवल ऊपर यथा निर्धारित संग्रह खाते खोल सकते हैं)
3.	<input type="checkbox"/> ऋण एक्सपोजर के अतिरिक्त छूट प्राप्त खाते	<input type="checkbox"/> 1. मकान खरीदारों से संगृहीत किए गए 70% अग्रिम भुगतान को रखने के उद्देश्य से रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 4(2)। (डी) के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए अनिवार्य किये गए खाते। <input type="checkbox"/> 2. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस), आरबीआई द्वारा अनुमत विशिष्ट गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीमेंट्स/प्रोपेड भुगतान लिखत मुद्रों के नोडल या एस्को खाते। <input type="checkbox"/> 3. डेबिट कार्ड/एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता/अधिग्रहणकर्ता से संबंधित बकाया राशि के निपटान के लिए खाते। <input type="checkbox"/> 4. फेमा, 1999 के तहत अनुमत खाते। <input type="checkbox"/> 5. आईपीओ/एनएफओ/एफपीओ/शेयर बायबैक/लाभांश के भुगतान/ वाणिज्यिक पत्र जारी करना/ डिबेंचर का आवंटन/ग्रेच्युटी आदि के प्रयोजन के लिए खाते। <input type="checkbox"/> 6. ऐसे बैंकों के उधारकर्ताओं के लिए करों, शुल्कों, सांविधिक देयताओं आदि को संग्रह करने के लिए अधिकृत बैंकों के साथ खोले गए खाते, जो ऐसे करों, चुंगी, सांविधिक देयताओं आदि को संगृहीत करने हेतु अधिकृत नहीं हैं। <input type="checkbox"/> 7. मुद्रा की सोर्सिंग के लिए व्हाइट लेबल एटीएम संचालकों और उनके एजेंटों के खातों यह छूट कैश-इन ट्रांजिट (सीआईटी) कंपनियों/कैश पुनःपूर्ति एजेंसियों (सीआरएस) को दी जाएगी क्योंकि वे अनिवार्य रूप से एक समान गतिविधि करते हैं। <input type="checkbox"/> 8. अंतर-बैंक खाते <input type="checkbox"/> 9. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआईएस) जैसे एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी के खाते। <input type="checkbox"/> 10. विशिष्ट खाते जो अन्य नियामकों/विनियामक विभागों/केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कानूनों और विशिष्ट निर्देशों के तहत निर्धारित हैं। <input type="checkbox"/> 11. केंद्र या राज्य सरकारों/नियामक निकाय/न्यायालयों/जांच एजेंसियों आदि के आदेशों द्वारा संलग्न खाते, जिनमें ग्राहक कोई विवेकाधीन डेबिट नहीं कर सकता है। खातों की उपर्युक्त श्रेणियों से संबंधित योजना विशिष्ट दस्तावेज खाता खोलने के फॉर्म के साथ प्रस्तुत किए जाए।

मैं/हम, मेरे/हमारे सीसी/ओडी/अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में उपर्युक्त धोषणा सह वचनपत्र में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने के मामले में पीएनबी को सूचित करने का वचन देता/देती/देते हूँ/हैं। मैं/हम यह भी समझते हैं कि उपरोक्त धोषणा सह वचनपत्र के माध्यम से मेरे/हमारे द्वारा बताए गए उपरोक्त तथ्यों/पहलुओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बारे में पीएनबी को सूचित करना मेरी/हमारी एकमात्र जिम्मेदारी होगी। मैं/हम उपरोक्त धोषणा सह वचनपत्र में मेरे/हमारे द्वारा बताए गए उपर्युक्त तथ्यों/पहलुओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के मामले में नई धोषणा सह वचनपत्र प्रदान करने के लिए भी सहमत हूँ/हैं। मैं/हम पीएनबी द्वारा कहे जाने पर चालू खाता बंद करने के लिए भी सहमत हूँ/हैं, मैं/हम इसके द्वारा अपने/हमारे चालू खातों को खोलने/ रखरखाव के संबंध में आरबीआई/बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करने का वचन देता/देती/देते हूँ/हैं।
कृपया अनुपयुक्त विकल्प को काट दें

\$ \$ मैं/हम वचन देता/देती/देते हूँ/हैं कि राशियों को इस संग्रह खाता से एस्को खाते में निम्न आवृत्ति पर प्रेषित किया जाएगा:

प्रतिदिन साप्ताहिक मासिक अन्य, कृपया उल्लेख करें

आवेदक/कों के हस्ताक्षर

आवेदक का सीआईएफ नं.:

केवल कार्यालय के उपयोग हेतु

तिथि:

संस्था का नाम:

संस्था का खाता सं.

FATCA & CRS BOX

यूएस का कर निवासी: हाँ नहीं (यदि 'हाँ' है तो कृपया टीआईएन उपलब्ध कराएं) यूएस टीआईएन:

यदि कर निवासी यूएस का है, तो व्यक्ति कहाँ का है

यूएस व्यक्ति हाँ नहीं (यूएस का कर निवासी यूएस का व्यक्ति है, अनुदेश 'जे' देखें)

एक निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति (अनुदेश 'के' देखें): हाँ नहीं (यदि निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति हाँ में है, तो इकाई यूएस रिपोर्ट करने योग्य है)

यूएस के अलावा भारत के बाहर का कर निवासी: हाँ नहीं

यदि 'हाँ' है तो कृपया देश का कोड बताएं एवं टीआईएन/ कार्यात्मक समकक्ष:

यदि यूएस के अलावा कर निवासी भारत के बाहर का 'हाँ' में है, तो इकाई चाहे निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में आती हो (निम्नलिखित श्रेणी से जैसा लागू हो टिक करें- यदि निम्नलिखित श्रेणी में से कोई भी "हाँ" में चिन्हित नहीं किया जाता है, तो खाता 'अन्य रिपोर्ट करने योग्य खाता' है)

I. कोई भी निगम जिसके स्टॉक का नियमित रूप से एक या अधिक स्थापित प्रतिभूति बाजार में कारोबार होता है। हाँ नहीं

II. कोई भी निगम जो ऊपर (i) में वर्णित निगम की संबंधित इकाई है हाँ नहीं

III. सरकारी इकाई हाँ नहीं

IV. अंतर्राष्ट्रीय संगठन हाँ नहीं

यदि मद (i) से (vi) में से किसी को 'हाँ' में चिन्हित किया गया है, तो इकाई 'अन्य रिपोर्ट करने योग्य खाता' है

V. केन्द्रीय बैंक हाँ नहीं

यदि इकाई न तो भारत का या यूएस का कर निवासी है और न ही यूएस के अलावा भारत के बाहर का कर निवासी है, तो उस स्थान पर **कर निवासी हेतु कोई निवासी नहीं** को 'हाँ' में भरा जाएगा

VI. वित्तीय संस्थान हाँ नहीं

कर उद्देश्य हेतु कोई निवासी नहीं हाँ नहीं

यदि 'हाँ' है तो कृपया उस देश का कोड जहाँ इकाई का मूल कार्यालय स्थित है, प्रदान करें

देश का कोड

विविध कर निवास*: हाँ नहीं (यदि 'हाँ' है, तो कृपया नीचे की तालिका भरें)

1. यदि इकाई है

निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति और यूएस के अलावा भारत के बाहर भी कर निवास है, तो इकाई के पास विविध कर निवास है,
2. यदि वह निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति नहीं है, लेकिन यूएस के अलावा एक देश से अधिक देशों में भारत के बाहर कर निवास है, तो इकाई के पास विविध निवास हैं।

यूएस के अलावा भारत के बाहर कर निवास देश	कर पहचान सं. या समकक्ष, यदि अधिकारक्षेत्र द्वारा जारी किया गया है	पहचान प्रकार (टीआईएन, कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन), ईआईएन या अन्य, कृपया उल्लेख करें)
पता*		
पंक्ति 1: <input type="text"/>		शहर: <input type="text"/>
पंक्ति 2: <input type="text"/>		राज्य: <input type="text"/>
पंक्ति 3: <input type="text"/>		पिन: <input type="text"/>

यूएस के अलावा भारत के बाहर कर निवास देश	कर पहचान सं. या समकक्ष, यदि अधिकारक्षेत्र द्वारा जारी किया गया है	पहचान प्रकार (टीआईएन, कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन), ईआईएन या अन्य, कृपया उल्लेख करें)
पता*		
पंक्ति 1: <input type="text"/>		शहर: <input type="text"/>
पंक्ति 2: <input type="text"/>		राज्य: <input type="text"/>
पंक्ति 3: <input type="text"/>		पिन: <input type="text"/>

आवेदक/कों के हस्ताक्षर

COUNTRY OF RESIDENCE AS PER TAX LAWS

ANNEXURE-VI

APPLICANT CIF NO.:

ENTITY NAME:

ENTITY ACCOUNT NUMBER

FOR OFFICE USE ONLY

DATE:

TAX RESIDENT OF US: YES NO (IF 'YES', PLEASE PROVIDE US TIN) **US TIN:**

FATCA & CRS BOX

IF TAX RESIDENT OF US, WHETHER THE PERSON IS

A US PERSON YES NO (A TAX RESIDENT OF US IS US PERSON, SEE INSTRUCTION 'J')

A SPECIFIED US PERSON (SEE INSTRUCTIONS 'K') YES NO (IF SPECIFIED US PERSON IS YES, THEN THE ENTITY IS US REPORTABLE)

TAX RESIDENT OUTSIDE INDIA OTHER THAN US: YES NO

IF 'YES', PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT:

IF TAX RESIDENT OUTSIDE INDIA OTHER THAN US IS "YES", WHETHER ENTITY FALLS IN ANY OF THE FOLLOWING CATEGORY (TICK FROM THE FOLLOWING CATEGORY AS APPLICABLE - IF NONE OF THE FOLLOWING CATEGORY IS MARKED "YES" THEN THE ACCOUNT IS AN "OTHER REPORTABLE ACCOUNT")

I. ANY CORPORATION THE STOCK OF WHICH IS REGULARLY TRADED ON ONE OR MORE ESTABLISHED SECURITIES MARKET YES NO

II. ANY CORPORATION THAT IS A RELATED ENTITY OF A CORPORATION DESCRIBED IN (I) ABOVE YES NO

III. A GOVERNMENTAL ENTITY YES NO

IV. AN INTERNATIONAL ORGANIZATION YES NO

V. A CENTRAL BANK YES NO

VI. A FINANCIAL INSTITUTION YES NO

NO RESIDENCE FOR TAX PURPOSE YES NO

IF ANY OF THE ITEM (I) TO (VI) IS TICKED 'YES' THE ACCOUNT IS NOT AN "OTHER REPORTABLE ACCOUNT"

IF ENTITY IS NEITHER A TAX RESIDENT OF INDIA OR US NOR A TAX RESIDENT OUTSIDE INDIA OTHER THAN US, THEN THE FIELD **NO RESIDENCE FOR TAX PURPOSE** WILL BE 'YES'

IF 'YES' PLEASE PROVIDE, COUNTRY CODE WHERE THE PRINCIPAL OFFICE OF THE ENTITY LOCATED COUNTRY CODE

MULTIPLE TAX RESIDENCY*: YES NO (IF 'YES', PLEASE FILL THE TABLE BELOW)

1. IF AN ENTITY IS A SPECIFIED US PERSON AND ALSO HAS A TAX RESIDENCY OUTSIDE INDIA OTHER THAN US, THE ENTITY HAS MULTIPLE TAX RESIDENCY.
2. IF IT IS NOT A SPECIFIED US PERSON BUT HAS TAX RESIDENCIES OUTSIDE INDIA OTHER THAN US IN MORE THAN ONE COUNTRY THE ENTITY, HAS MULTIPLE TAX RESIDENCY.

COUNTRY OF TAX RESIDENCE OUTSIDE INDIA OTHER THAN US	TAX IDENTIFICATION NUMBER OR EQUIVALENT, IF ISSUED BY JURISDICTION	IDENTIFICATION TYPE (TIN, COMPANY IDENTIFICATION NUMBER (CIN), EIN OR OTHER, PLEASE SPECIFY)

ADDRESS*

LINE 1: CITY:

LINE 2: STATE:

LINE 3: PIN:

COUNTRY OF TAX RESIDENCE OUTSIDE INDIA OTHER THAN US	TAX IDENTIFICATION NUMBER OR EQUIVALENT, IF ISSUED BY JURISDICTION	IDENTIFICATION TYPE (TIN, COMPANY IDENTIFICATION NUMBER (CIN), EIN OR OTHER, PLEASE SPECIFY)

ADDRESS*

LINE 1: CITY:

LINE 2: STATE:

LINE 3: PIN:

Signature of Applicant/s

